मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 39 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 24 – 30 सितंबर 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

महिला आरक्षण के लिए लड़ने वाली असली योद्धा 'गीता दी' 3

पर्यावरण बचाव के लिए मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी.....5

भाकपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न

'इंडिया' ब्लॉक को मजबूत करने का आह्वान

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 19 और 20 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय पार्टी मुख्यालय, अजय भवन में आयोजित दो दिवसीय बैठक में लोगों को एकजुट करके और मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और अन्य सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न संगठनों को इंडिया ब्लॉक में लाकर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 19 और 20 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन के बाद 21 सितंबर, 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा महासचिव डी राजा द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति निम्नलिखित है:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 और 20 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और आंध्र प्रदेश में पार्टी के राज्य सचिवमंडल की सदस्य वनजा ने की।

पार्टी महासचिव डी. राजा ने आई. एन.डी.आई.ए. (भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन) के गठन सहित राजनीतिक घटनाक्रमों पर रिपोर्ट दी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाने में पार्टी का दृष्टिकोण और भूमिका क्या होनी चाहिए।

विचार विमर्श के उपरांत राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निम्न विषयों पर अपनी राय जाहिर की:

महिला आरक्षण विधेयक पर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के प्रति दृढ है।

यह भाकपा नेता रेनू चक्रवर्ती और गीता मुखर्जी जैसे संसद सदस्य थे जिन्होंने विधानसभा और संसद में महिला आरक्षण की चैंपियन थीं। 1963 में रेनू चक्रवर्ती ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। दरअसल, संसदीय चयन समिति की प्रमुख के तौर पर गीता मुखर्जी ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी।

इस पृष्ठभूमि में भाकपा आरक्षण विधेयक का स्वागत करती है लेकिन रेखांकित करती है कि यह 2024 का चुनाव और आई.एन.डी.आई.ए. का गठन है, जिस गठबंधन ने बीजेपी सरकार को हिला कर रख दिया है। 2014 से संसद में बहुमत होने के बावजूद इस बिल को पेश करने में 10 साल लग गए।

राजनीतिक लाभ लेने के लिए तमाम विसंगतियों के बावजूद यह विधेयक पेश किया गया है। यह 2026 में परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा और 2029 में ही लागू किया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि ओबीसी आरक्षण की मांग पर चर्चा और विचार नहीं किया गया है।

इंडिया ब्लॉक पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी

19 सितंबर को दिल्ली में हुई भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इंडिया ब्लॉक के गठन का स्वागत किया गया। पार्टी का मानना है कि इंडिया ब्लॉक का गठन हमारे गणतंत्र और उसके संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मजबूत राजनीतिक गठबंधन निश्चित रूप से भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को बदलने में सक्षम होगा। भाकपा लोगों को एकजुट करके और मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और अन्य सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न संगठनों को इंडिया ब्लॉक के आसपास लाकर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी।

भाकपा ने आगामी राज्य और संसद चुनावों के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए समन्वय, अभियान प्रबंधन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया अभियान के व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मुंबई बैठक में भाग लेने वाले सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से तय की गई विभिन्न समितियों के गठन पर सहमति व्यक्त की है। यह समझ कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे।

भाकपा को लगता है कि अधिक समावेशी चर्चा और निर्णय के लिए अन्य राजनीतिक दलों को समायोजित करने के लिए समन्वय समिति का विस्तार किया जा सकता है।

भाकपा, यह ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिक उद्देश्य भाजपा और उसके सहयोगियों को हराना है समितियों के सुचारू संचालन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी और उसमें भाग लेगी।

भाकपा ने उधमपुर (जे एण्ड के) में एआईएसएफ पर हमले की निन्दा की

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 18 सितंबर, 2023 को उधमपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के जम्मू–कश्मीर राज्य सम्मेलन में पुलिस और अर्धसैनिक कार्रवाई के साथ–साथ एबीवीपी–आरएसएस के गुंडों के हमले की कड़ी निंदा करती है।

सत्तारूढ़ गुट के निर्देश पर जम्मू–कश्मीर के उधमपुर में एआईएसएफ के घोषित राज्य सम्मेलन को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हर संभव कोशिश की। एबीवीपी और आरएसएस ने पुलिस बल की मौजूदगी में प्रतिनिधियों पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की, यहां तक कि एआईएसएफ के अखिल भारतीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा, पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पुलिस ने आयोजकों को सूचित किया कि वे वामपंथी संगठनों के किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि वे राष्ट्र विरोधी हैं। यह संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इस देश में वामपंथी संगठनों पर प्रतिबंध नहीं है। एआईएसएफ पहला छात्र संगठन है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और कई राष्ट्रीय नेता दिये।

पार्टी केंद्र सरकार से इस घटना में शामिल एबीवीपी–आरएसएस के गुंडों के साथ–साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है।

भाकपा जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ देश के सभी लोकतांत्रिक सोच वाले लोगों से एकजुट होकर ऐसे फासीवादी हमलों का विरोध करने की अपील करती है।

बिल पास हो गया, लेकिन...

संपादकीय

काफी लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है। जो कोई भी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष के इतिहास के बारे में जानता है, वह जीत के इस क्षण में कामरेड गीता मुखर्जी का याद करेगा। गीता दी एक अविस्मरणीय कम्युनिस्ट नेता और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सतत सेनानी थीं, जिन्होंने महिला विधेयक को पारित करने को अपने जीवन मिशन के रूप में लिया। वह एक सच्ची कम्युनिस्ट थीं जिनका मानना था कि देश की महिलाओं की मुक्ति के बिना भारतीय क्रांति के कार्य पूरे नहीं हो सकते। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की तैंतीस प्रतिशत भागीदारी उस दिशा में पहला कदम है। उस पहले कदम को पूरा करने के लिए भी देश की लोकतांत्रिक ताकतों को दशकों तक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। विधेयक का पारित होना महिला संगठनों और अन्य लोकतांत्रिक ताकतों के भविष्य के संघर्षों के लिए एक प्रेरणा एवं गति प्रदान करेगा।

भाजपा सरकार देश में महिला सशक्तिकरण की चैम्पियन बनने की कोशिश कर रही है। उनके सभी प्रचार उपाय इसी के अनुरूप हैं, और वे प्रचार करते हैं कि मोदी महिलाओं के अधिकारों के योद्धा हैं। गढ़े जा रहे इस प्रचार के विपरीत, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हैं। वे वैचारिक और राजनीतिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं हैं। उनका आरएसएस द्वारा नियंत्रित एक पुरुषवादी संगठन है जिसमें महिलाओं को प्राथमिक सदस्यता से भी वंचित रखा जाता है। उनकी विचारधारा मनुस्मृति द्वारा निर्देशित है, जो कहती है कि ''न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति'' (महिलाएं स्वतंत्रता की हकदार नहीं हैं)। अचानक, उनकी सरकार नारी शक्ति की समर्थक बन गयी और इस बिल का श्रेय इस सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मजबूरियाँ भाजपा के अंदर वैचारिक प्रतिबद्धता पर हावी हो रही थीं। अन्यथा, वे इस विधेयक को पारित करने के लिए 2014 से 2023 तक नौ साल की लंबी अवधि को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?

महिला आरक्षण विधेयक की विषयवस्तु को 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा आकार दिया गया था, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी महत्वपूर्ण पदों पर थी। तब ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर मतभेद के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था। इस हेतु गीता मुखर्जी के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। हालाँकि इसने रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन यह कदम आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि विधेयक लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। यूपीए–I, जिसमें वामपंथी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने मामले को गंभीरता से लिया और महिला आरक्षण विधेयक को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान मिला। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली इस सरकार के दौरान विधेयक 6 मई, 2008 को पेश किया गया था। स्थायी समिति की जांच के बाद राज्य सभा ने 9 मार्च, 2010 को विधेयक पारित कर दिया। उस समय से राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इस विधेयक का मामला गंभीरता से आगे नहीं बढ़ा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी ताकतें हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के प्रतिदृढ़ता से प्रतिबद्ध रही हैं और देश में प्रगतिशील महिला आंदोलन के साथ–साथ उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) इस संघर्ष को जनहित याचिका के रूप में 2021 में सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया और सरकार को आगाह किया कि अगर विधेयक को लागू करने में और देरी की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 2024 के चुनावों के साथ–साथ, विभिन्न कारकों ने भाजपा सरकार को कानून के साथ आगे आने के लिए मजबूर किया। हालाँकि महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, लेकिन भाजपा इसके कार्यान्वयन के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। आगामी जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के नाम पर, सरकार इसके कार्यान्वयन को किसी और समय के लिए विलंबित करने का प्रयास करती है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। देश की लोकतांत्रिक ताकतों ने सरकार से आग्रह किया है कि महिला आरक्षण विधेयक को अविलंब, मौजूदा लोकसभा के भंग होने के पहले ही, लागू किया जाये।

पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों में कुल सीटों में से एक तिहाई (33%) से आधी (50%) सीटों तक महिलाओं के लिए आरक्षण के अनुभव ने हमें दिखाया है कि शासन में महिलाओं को आरक्षण देने से कैसे सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हमारा राजनीतिक परिदृश्य। यह लैंगिक–समावेशी राजनीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रेरक होना चाहिए। वर्तमान अधिनियम का दायरा राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के साथ–साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं तक बढ़ाया जाना चाहिए। कानून बनाने वाली संस्थाओं में ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण एक सार्थक प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट में भी इस पहलू का जिक्र किया गया है। भाजपा के मंच प्रबंधक, जो अब इस अधिनियम के बारे में शेखी बघार रहे हैं, ने आज तक कभी भी ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। उनकी एकमात्र चिंता नारी शक्ति के नाम पर सत्ता पर कब्जा करना है। महिलाओं के साथ सत्ता साझा करना और सामाजिक न्याय का सम्मान उनके राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे में शामिल नहीं है। उन्हें जनता के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। जीत के इस पहले बिंदु से महिला सशक्तिकरण के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। कम्युनिस्ट न्याय और मुक्ति के संघर्ष में महिलाओं और अन्य सभी लोकतांत्रिक ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग

पौड़ी गढ़वाल, 17 सितंबर 2023: भाकपा पौड़ी गढ़वाल की जिला जनरल बॉडी मीटिंग नरेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

भाकपा राज्य सचिव जगदीश कुलीयाल ने वर्तमान पार्टी की स्थित पर प्रकाश डाला। मीटिंग में ज्ञान सिंह नेगी ने अपनी अस्वस्थ्यता और बढ़ती उम्र के चलते जिला संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सर्वसम्मति से आशुतोष चंद्रा पुत्र पूर्व जिला सचिव विधान चंद्रा को जिले का संयोजक बनाया गया एवं एक संयोजक मंडल भी बनाया गया। सितंबर माह में सारी ब्रांचों के सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। बैठक में उत्तराखंड राज्य सचिव जगदीश कुलीयल, राज्य कार्यकारणी सदस्य नरेंद्र सिंह नेगी, ज्ञान सिंह नेगी, चंद्र मोहन बर्थवाल, उमेश नौटियाल, जगदीश जोशी, बिमला गड़वाली, गजेंद्र नेगी, वचन सिंह, आदि ने भाग लिया।

चमोली आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण

इससे पहले 12 सितंबर को भाकपा राज्य सचिव जगदीश कुलीयल ने चमोली जिले के प्राकृतिक आपदा वाले इलाके जोशीमठ, तपोवन के रैणी बल्ली, पल्ली, भविष्य बद्री, लाटा, रिंगी, जोशीमठ का भ्रमण किया। उन्होंने गांवों में किसानों की समस्या सुनी, वहां किसान सभा के सदस्य बनाए। उसके बाद रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि, चंद्रा पुरी, गुप्तकाशी के किसानों की एवं पार्टी के कार्य कलापों की समीक्षा की। पार्टी के जिला सचिव सुधीर रौथन, पूर्व ब्लाक प्रमुख जय नारायण नौटियाल से भी चर्चा की।

विहिप और अराजक छात्रों के कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सागरः डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्व विद्यालय में बिना अनुमति लिए नियम विरुद्ध 19 सितंबर 2023 को गणेश प्रतिमा अनावरण और विश्वविद्यालय प्रांगण में संविधान की धारा 26(1) तथा विश्वविद्यालय द्वारा 26 मार्च 2022 को निकली गई अधिसूचना के तहत आदेश जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रांगण में कोई भी धार्मिक गतिविधि का आयोजन नहीं होगा को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए दो सूत्रीय ज्ञापन कुलपति, कुलसचिव एवं कलेक्टर को दिया गया।

पार्टी के जिला सचिव, डॉ. राहुल भायजी ने बतलाया कि उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय प्रांगण में छात्रावासों के कुछ छात्रों द्वारा गणेश प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था। छात्रावास अधीक्षक द्वारा उक्त अधिसूचना के तहत गणेश प्रतिमा के अनावरण को रोका गया। जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं विश्वविद्यालय सुरक्षा इंचार्ज की निष्क्रियता के चलते उक्त गणेश प्रतिमा के अनावरण का आयोजन रोका नहीं जा सका। अपितु विश्व हिंदू परिषद द्वारा उक्त घटना का सांप्रदायिककरण करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में विहिप ने अवांछित प्रवेश किया और छात्रों समेत छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर राजेश गौतम को जूता मारने, प्रताड़ित एवं आतंकित करने का कृत्य विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया। जिससे विद्यालय का अकादमिक, धर्मनिरपेक्ष माहौल को बिगाड़ने की मंशा जाहिर होती है। जो 26, मार्च 2022 को निकाली गई अधिसूचना का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय परिसर में जारी अधिसूचना के आदेश का उल्लंघन करते हुए एवं बिना अनुमति लिए गणेश प्रतिमा की स्थापना में संलग्न तत्वों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही और सागर खबर 24 द्वारा बढ़ाई गई धर्माधता आधारित रिपोर्ट पर भी कानूनी कार्रवाई एवं प्रोफेसर राजेश गौतम को विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा तत्काल सुरक्षा प्रदान कराये जाने की मांग ज्ञापन द्वारा की गई है। ताकि कुलबर्गी, दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश की हत्या आदि जैसी घटना को दोहराने न दिया जा सके।

महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत परंतु अभी भी अधूरा

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की अध्यक्ष अरूणा रॉय और महासचिव एनी राजा ने 21 सितंबर 2023 को निम्नलिखित बयान जारी कर महिला आरक्षण विधेयक पर संगठन की स्थिति स्पष्ट की:

1954 में स्थापित, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के साथ–साथ सशक्तिकरण के साधन के रूप में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। हमारे नेता एवं सांसद स्व. गीता मुखर्जी ने संसद और राज्य विधानसभाओं जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अभियान का नेतृत्व किया। महिला प्रतिनिधित्व विधेयक पर संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में गीतादी ने कड़ी मेहनत की और समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1996 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पहली बार पेश होने और 2010 में राज्यसभा में इसके पारित होने के बाद से, सरकारों ने विधेयक को पारित करने में देरी के लिए बार–बार तुच्छ कारण बताए हैं। उद्धृत किए गए मुख्य कारणों में राजनीतिक दलों के बीच आगे विचार और आम सहमति की आवश्यकता हवाला दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि संविधान में किसी भी संशोधन के लिए, दो–तिहाई बहुमत एक तय मानदंड है।

एनएफआईडब्ल्यू की सुप्रीम कोर्ट में महिला आरक्षण पर याचिका

चूंकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से विधेयक को पारित करने की मांग का जवाब नहीं दे रही थी, एनएफआईडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी को नोटिस भेजा। वे राजनीतिक दल जिन्होंने अपने–अपने चुनाव घोषणापत्र में इसके समर्थन का उल्लेख किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, परिणामस्वरूप 5 सितंबर 2023 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब दाखिल करने में अनिच्छा के बारे में केंद्र सरकार से सवाल किया था कि वह बिल को लोकसभा में क्यों नहीं पेश कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर 2023 को है।

एनएफआईडब्ल्यू ने कहा कि विधेयक को पेश न करना मनमाना, अवैध है और भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। हमने तर्क दिया कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे समाज में महिलाओं की प्रतिकूल और भेदभावपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया और भेदभाव के खतरे को रोकने के लिए परिणामी कदम उठाए और इसके अलावा राज्य को सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय करने के लिए बाध्य किया।

19 सितंबर 2023 को संसद में पेश महिला आरक्षण पर प्रतिक्रिया

एनएफआईडब्ल्यू संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किये जाने का स्वागत करता है।

विधेयक महिआओं को केवल 33 प्रतिशत आरक्षण देता ना कि 50 प्रतिशत।

इसकी कोई निश्चित समय–सीमा नहीं– प्रस्ताव है कि विधेयक, पारित होने पर, 2029 में जनगणना और चुनावी परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। यह महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि 2029 से पहले कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। यह स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए राजनीतिक समानता पर भाजपा सरकार की अनिच्छा और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

जब भी केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लाभकारी होने के घोषित उद्देश्य के साथ कोई विधेयक पारित करती है, तो इसका मतलब बिल्कुल विपरीत होता है। इसने तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया, जिसने बिना सबूत के गिरफ्तार किए गए पुरुषों के साथ परिवारों को तोड़ दिया है। जब रोटी कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति को जेल हो जाती है, तो वह महिलाओं और बच्चों को कहाँ छोड़ता है?

एनएफआईडब्ल्यू इस बात से बेहद निराश है कि न तो राज्यसभा में और न ही राज्य विधान परिषदों में आरक्षण का कोई जिक्र है।

बिल में ट्रांस महिलाओं या ओबीसी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्पष्ट उल्लेख है लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का कोई उल्लेख नहीं है।

जिन राज्यों में तीन या तीन से कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।

एनएफआईडब्ल्यू दिवंगत गीता मुखर्जी और उन सभी दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी।

एनएफआईडब्ल्यू उन सभी महिलाओं और महिला संगठनों और लोकतांत्रिक ताकतों को सलाम करता है जो महिला आरक्षण को पारित कराने के लिए अभियान चला रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं।

हम मोदी सरकार को महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं।

महिला आरक्षण के लिए लड़ने वाली असली योद्धा 'गीता दी'

स्वर्गीय गीता मुखर्जी पहली सांसद थीं, जिन्होंने 12 सितंबर 1996 को महिला आरक्षण पर निजी विधेयक पेश किया था। उन्होंने संसदीय और विधायी सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए 12 सितंबर 1996 को संसद के पटल पर एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया था। यह शुरुआत थी और उस ऐतिहासिक दिन के 27 साल बाद 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बदले हुए नाम से विधेयक पेश किया गया था। गीता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के तत्कालीन अविभाजित मिदनापुर जिले के पंसकुरा निर्वाचन क्षेत्र (अब परिसीमन के कारण अस्तित्वहीन) से सात बार भाकपा की लोकसभा सदस्य रहीं।

संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पेश होने पर देश भर में खुशी मनाई जा रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की एक मृदुभाषी महिला की कहानी फिर से चर्चा में है। गीता मुखर्जी को करीब से जानने वाले दिग्गजों को याद है कि वह महिला सशक्तिकरण के बारे में कितनी ईमानदार थीं और उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक संसद और विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा तब तक सशक्तिकरण हासिल नहीं किया जा सकेगा। मुखर्जी अक्सर अपनी पार्टी के साथियों और मीडियाकर्मियों के बीच 'गीता–दी' के नाम से बेहद लोकप्रिय थीं। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को समाज निर्माण में उनकी उचित पहचान मिले और वे पर्याप्त संख्या बल के साथ संसदीय और विधायी मंचों पर अपने अधिकारों की आवाज उठाएं।

प्रसिद्ध भारतीय सांसद और बेहद प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय बिश्वनाथ मुखर्जी की पत्नी गीता मुखर्जी बिना किसी सुनियोजित प्रचार के अपनी बेहद विनम्र जीवनशैली के लिए जानी जाती थीं। वह 4 मार्च 2000 को अपने देहावसान तक नई दिल्ली और हावड़ा के बीच यात्रा करते समय साधारण थ्री–टीयर स्लीपर क्लास में यात्रा करना पसंद करती थीं।

अत्यंत मृदुभाषी और लो प्रोफाइल वाली गीता मुखर्जी 1980 से 2000 तक तत्कालीन अविभाजित मिदनापुर जिले के पंसकुरा निर्वाचन क्षेत्र से सात बार लोकसभा सदस्य

थीं। अंतिम बार वह 1999 में चुनी गई थीं। एक सांसद के रूप में, सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति और आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 1980 पर संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में उनके गठन को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है।

छात्र राजनीति से एंट्री लेने वाली गीता मुखर्जी 1980 से 2000 तक पंसकुडा चुनाव क्षेत्र का सात बार लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया था। आखिरी बार वो 1999 मे लोक सभा सदस्य बनी थीं। उससे पहले वो 1967 से 1977 के बीच चार बार पंसकुडा पूर्बी क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुकी थीं। पहली बार वो भाकपा की स्टेट काउंसिल के सदस्य के रूप में चुनी गयी थीं। यहां तक कहा जाता है कि गीता मुखर्जी को इंद्र कुमार गुजराल सरकार में मंत्री पद का ऑफर मिला तो सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो अपना पूरा ध्यान महिलाओं को आरक्षण दिलाने पर ही फोकस करना चाहती थीं

गीता मुखर्जी एक राजनीतिज्ञ, एक कार्यकर्ता और बच्चों की लेखिका भी थीं। उनका जन्म गीता रॉय चौधरी के रूप में एक उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। वह जेसोर में स्कूल गई, जो अब बांग्लादेश में है। एक छात्रा के रूप में, वह 1939 में बंगाल प्रांतीय छात्र संघ (बीपीएसएफ–संबद्ध एआईएसएफ) में शामिल हुई और अंडमान सेलुलर जेल से स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कराने के अभियान में सक्रिय थीं। वह कोलकाता के आशुतोष कॉलेज गई और बंगाली साहित्य में स्नातक की उपाधि

शेष पेज 14 पर...

लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से हटाना होगा

18 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान से लेकर 75 वर्षो की संसदीय यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्य के. सुब्बारायण ने कहाः यह चर्चा संवैधानिक लोकतंत्र के 75 वर्ष के संबंध में है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपने विचार कहना चाहता हूं, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आजादी के बाद हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन 75 वर्षो के दौरान कुछ सुखद अवसरों के अलावा दर्दनाक घटनाएं भी हुई। मैं आपको डॉ. अम्बेडकर का एक विचार याद दिलाना चाहता हूँ । 24–25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाने के अवसर पर अपना समापन भाषण देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, ''मुझे नहीं पता कि भारतीय लोग राष्ट्र को पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर वे धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और हमेशा के लिए खो जाएगी।'' यह उनकी ओर से एक चेतावनी थी। 75 वर्षो के लंबे अनुभव को देखते हुए, मुझे कहना होगा कि पिछले 9 वर्ष बहुत दर्दनाक रहे हैं। हमारी आजादी, जो हमें अनेक बहुमूल्य जिंदगियों का बलिदान देकर मिली थी, अब एक प्रश्नचिह्न बन गई है। एक राष्ट्र कक्षाओं में टंगे नक्शों में नहीं होता, बल्कि समग्र रूप से लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। इसमें सभी 140 करोड़ लोगों का हित प्रतिबिंबित होना चाहिए और तभी यह एक राष्ट्र को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए, राष्ट्रीय हित केवल अपनी सीमाओं या वन क्षेत्र या तारकोल सड़कों की रक्षा करने में नहीं है। राष्ट्र का वास्तविक अर्थ उसके लोग हैं। लोग विभिन्न धर्मो और विभिन्न जातियों के हैं। राष्ट्र को इस देश के सभी लोगों के हितों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, तब ही यह राष्ट्रीय हित को प्रतिबिंबित करेगा। अतः राष्ट्रीय हित केवल इसकी सीमाओं या वन क्षेत्र या कोलतार की सड़कों की रक्षा करना ही नहीं है। राष्ट्र के हित का वास्तव में अर्थ है जनता विभिन्न धर्मो और विभिन्न जातियों से संबंध रखती है।

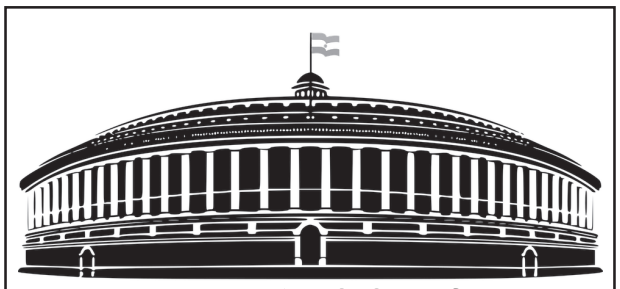
संसद में सीपीआई

राष्ट्र को इसके जनता के हितों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, तब ही वह राष्ट्र हित है। अतः मुझे कहना चाहिए कि पिछले 9 वर्षो के दौरान स्थिति और भी बदतर हो गई है। यह हमारे इतिहास में एक खतरनाक नजीर है। मुझे विस्तार से इस संबंध में बताना चाहिए ताकि इस गिरावट के कारणों को स्पष्ट किया जा सके। लेकिन समय की कमी है। मैं अपने देश के 75 वर्षो से जुड़े अनुभवों को विस्तार से एक–दो मिनट के निर्धारित समय में नहीं कह सकता। इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक या दो बातों का हवाला दूंगा। जब हम पिछले 75 साल के कालखंड की बात करते हैं तो मैं यह जरूर कहूंगा कि अब योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। वे लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में आते हैं और फिर इस संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। संसद भवन की सीढ़ियों पर आपके झुकने से संसद को अपनी छवि नहीं मिलेगी। आज की सरकार संसद की समावेशी की रक्षा नहीं कर रही है। उन्हें इस देश या संसदीय प्रणाली और प्रक्रिया से प्यार नहीं है। वह सिर्फ दिखावा करने में लगे हुए हैं। यह न तो राष्ट्रीय हित को प्रतिबिंबित करता है और न ही संसदीय प्रक्रिया या लोकतांत्रिक साख और भारतीय संविधान की सुरक्षा को दर्शाता है। यदि हम इस सरकार को सत्ता में बने रहने देते हैं, तो हमें अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता खोने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो हमने कई हजारों बहुमूल्य जिंदगियों का बलिदान देकर हासिल की थी। हाल ही में हुए जी–20 शिखर सम्मेलन की सफलता को लेकर कई सांसदों ने यहां तारीफ की। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ कौन से समझौते किये हैं? पंडित नेहरू ने विश्व के देशों के बीच भारत की सम्मानजनक छवि बनाई। लेकिन भारत की वह छवि अब धूमिल हो चुकी है। हम इजराइल के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अमेरिका की गौशाला की गायों की तरह भारत भी उनके हाथ में है। यदि हम भारत की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इस सरकार को सत्ता से हटाना होगा क्योंकि यह लोकतंत्र, संविधान और संसदीय शासन प्रणाली की रक्षा करने में असमर्थ है। तभी हम भारत, उसके लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं।

महिला आरक्षणः एनएफआईडब्ल्यू के आंदोलन की जीत

पटनाः महिला आरक्षण बिल संसद में पेशकिये जाने को महिला संगठन बिहार महिला समाज (एनएफआईडब्ल्यू बिहार ईकाई) ने इसे अपनी पार्टी की कामरेड गीता मुखर्जी और महिला आंदोलन की जीत बताया है। बिहार महिला समाज की अध्यक्ष सुशीला सहाय ने कहा कि कामरेड गीता मुखर्जी के जन्मशताब्दी वर्ष का यह सबसे अच्छा तोहफा है।सहाय मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस में बोल रही थीं।

बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष निवेदिता झा ने कहा, गीता मुखर्जी हमारी ऐसी पुरखिन थी जो महिला आंदोलन को सदा दिशा देती रहेंगी. निवेदिता ने बताया कि भारतीय महिला फेडरेशन (एनएफआईडब्ल्यू) ने सुप्रीम कोर्ट में महिला आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस पर जवाब मांगा था और इस पर 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी थी। साफ तौर पर केन्द्र सरकार ने दवाब में यह फैसला लिया गया है।

प्रेस काफ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार महिला समाज की कानूनी सलाहकार सुधा अम्बष्ठ ने कहा कि एनएफआईडब्लू और गीता मुखर्जी ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है जिसे लगातार जारी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं पटना की जिला सचिव अनिता मिश्रा ने कहा कि गीता मुखर्जी ने संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी।

बिहार महिला समाज की कार्यकारिणी सदस्य रिंकू कुमारी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की कैबिनेट मंजूरी ने महिला आंदोलन को मजबूत किया है। उन्होने कहा कि कैबिनेट से महिला आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी महिला आंदोलन की जीत का एक पड़ाव है, लेकिन हमारा संघर्ष अभी लंबा है। कामरेड गीता के रास्ते पर जाकर ही महिलाओं के लिए अच्छी दुनिया बनाई जा सकती है।

गीता मुखर्जी ही भाकपा की वो सांसद थी जिनकी अध्यक्षता में 1996 में महिला आरक्षण को लेकर संयुक्त विशेष समिति बनीं थी। 8 जनवरी 1924 को कोलकाता के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी गीता मुखर्जी 23 साल की उम्र में ही छात्र संगठन एआईएसएफ की सचिव बन गई थी।

1942 में भाकपा की सदस्यता ली और इसी साल उनकी शादी उस वक्त के स्थापित कम्युनिस्ट नेता विश्वनाथ मुखर्जी से हो गई। 29 जुलाई 1945 को गीता मुखर्जी तब सुर्खियों में आई जब उन्होने पोस्टल हड़ताल के विशाल समूह को संबोधित किया। इसके बाद वो 1946 में स्टेट कमिटी की सदस्य बनी और 1967 में पहली बार पश्चिम बंगाल की पंसकुड़ा पूर्वी से विधानसभा चुनाव लड़ा और 1977 तक चार बार यहा से विधायक चुनी गयी। गीता मुखर्जी भारतीय महिला समाज फेडरेशन से भी जुड़ी रही। वे चार बार विधायक, सात बार सांसद रहीं।

पंसकुडा पूर्वी से गीता मुखर्जी चार बार विधायक रही। इसके बाद उन्होनें पंसकुडा से ही लोकसभा चुनाव लड़ा। वो 1980 से 1999 तक इस सीट से सांसद रहीं। अपने पूरे जीवन में वह बीड़ी मजदूरों, महिलाओं की सेहत, भ्रुण जांच के लिए बने पीएनडीटी एक्ट, महिला आरक्षण और दहेज के मसले पर हस्तक्षेप करती रही।

1996 में जब देवगौड़ा सरकार में सांसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया तो उसे पास करवा पाने में असफल रही। बाद में इस विधेयक को लेकर संयुक्त विशेष समिति बनी जिसका अध्यक्ष गीता मुखर्जी को बनाया गया।

वह सांसदों के पास जाकर उसे महिला आरक्षण के पक्ष में बोलने के लिए मनाती थी। कामरेड गीता मुखर्जी की मृत्यु 4 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनको याद करते हुए बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने एक जगह लिखा था कि वो सिंथेटिक साड़ी और हवाई चप्पल में अपने अंतिम दिनों तक संसद आती रही। जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ तो एक–एक सीट पर जाकर सांसदों से व्यक्तिगत अनुरोध करती थी कि वे इस बिल के पक्ष में बोलें। गीता मुखर्जी नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, नेशनल चिल्ड्रेन बोर्ड, प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया की भी सदस्य रहीं।

पर्यावरण को चुनौती देता मोदी–कारपोरेट गठजोड़

पर्यावरण बचाव के लिए मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी

महेश राठी

हाल ही में ओसीसीआरपी (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एण्ड क्रप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट) ने भारत में उर्जा और खनन के क्षेत्र की जानी मानी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी वेदाता के संबंध में एक रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया कि अनिल अग्रवाल और उनकी कंपनी वेदांता किस प्रकार अपने हितों को साधने के लिए पर्यावरण कानूनों और नियमों को कमजोर कर रही है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि कारपोरेट लाडले और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री किस प्रकार वेदांता के इशारे पर पर्यावरण को तबाह करने के वाहक बन रहे है।

रिपोर्ट कहती है कि यह 2021 था और कोविड–19 महामारी भारत में फैल रही थी, देश की स्वास्थ्य प्रणाली को पंगु बना रही थी और अर्थव्यवस्था को ठप कर रही थी। लेकिन ऊर्जा और खनन दिग्गज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के लिए संकट एक अवसर लेकर आया। जैसा कि पीएम मोदी ने आपदा को अवसर बनाने का सार्वजनिक रूप से नारा दिया था तो उसका अनुपालन करते हुए उनके कारपोरेट दोस्तों ने दोनों हाथों से देश के संसाधनों से लेकर जनता तक की लूट की।

रिपोर्ट बताती है कि वेदांता दिग्गज अनिल अग्रवाल ने जनवरी में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र में लिखा था कि सरकार खनन कंपनियों को नई पर्यावरणीय मंजूरी के बिना उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति देकर भारत के 'तीव्र' आर्थिक सुधार को 'गति' दे सकती है। अपने पत्र में अग्रवाल ने लिखा कि उत्पादन और आर्थिक विकास को तुरंत बढ़ावा देने के अलावा, इससे सरकार के लिए भारी राजस्व उत्पन्न होगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने साथ ही यह सुझाव भी दे डाला कि यह बदलाव केवल एक साधारण अधिसूचना के साथ ही किया जा सकता है। पत्र मिलते ही मोदी सरकार और उनके मंत्री जावड़ेकर फौरन काम पर लग गए। उन्होंने पत्र पर नोट लिखा बेहद महत्वपूर्ण (वीआईएमपी) और मंत्रालय के सचिव और वानिकी महानिदेशक को नीतिगत मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश भी दे डाला।

हालांकि उद्योग जगत के इसी प्रकार के पिछले प्रयास रुके पडे थे। लेकिन आपदा में अवसर के इस दौर में अग्रवाल को वही मिला जो वह चाहते थे। 2022 की शुरुआत में, बंद दरवाजों के पीछे मीटिंगों की एक श्रृंखला के बाद, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने अब तक सबसे कड़िन समझी जाने वाली मंजूरी दे डाली और वह भी किसी प्रकार की सार्वजनिक सुनवाई की जरूरत को दरकिनार करते हुए। खनन कंपनियों को 50 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने के लिए नियमों में यह ढील दी गयी थी। हालाँकि एक प्रमुख उद्योग लॉबी समूह के प्रमुख और भारत के खनन सचिव ने भी नियमों को ढीला करने के लिए दबाव डाला था। ओसीसीआरपी का दावा है कि आंतरिक दस्तावेज और सरकारी सूत्रों से पता चलता है कि वेदांता की लॉबिंग काफी महत्वपूर्ण थी। पर्यावरण मंत्रालय ने तब केवल अपनी वेबसाइट पर ही एक कार्यालय ज्ञापन प्रकाशित करके नियमों को बदल डाला था।

इससे बेशक पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को भारी नुकसान पहुंचने वाला हो परंतु इस प्रकार की बैकरूम लॉबिंग से मोदी सरकार ने अपने करीबी शक्तिशाली लोगों के पक्ष में नीतियों को बदलने का काम किया। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी का हवाला देते हुए कहती है कि एक अध्ययन के अनुसार, बिना किसी सार्वजनिक बहस के, कार्यालय ज्ञापन जैसे तरीके का उपयोग करके महत्वपूर्ण नियमों को संशोधन करके सरकार ने कानून के अनुपालन से भी परहेज किया।

यह जानने के लिए कि महामारी के दौरान प्रमुख पर्यावरणीय नियमों को कैसे संशोधित किया गया, ओसीसीआरपी ने आरटीआई कानूनों और उनसे सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता का उपयोग करके प्राप्त हजारों सरकारी दस्तावेजों एवं रिकॉर्डस की जांच की। आंतरिक मेमोरंडम और और बंद दरवाजे की मीटिंग्स की मिनट्स से लेकर अग्रवाल के पत्र तक यह जाहिर करते है कि सरकारी अधिकारियों ने उद्योग और विशेष रूप से वेदांता द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुरूप नियमों को तैयार किया है और स्थापित नियमों को संशोधित किया।

वेदांता भारत की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक है, जिसने पिछले साल 18 बिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व दर्ज किया। इसके अध्यक्ष अग्रवाल मोदी के प्रशंसक हैं और सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हैं। वेदांता उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भी एक महत्वपूर्ण समर्थक है। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट यह भी खुलासा करती है कि अकेले वेदांता से जुड़े दो ट्रस्टों ने 2016 और 2020 के बीच पार्टी को 6.16 मिलियन डॉलर का दान दिया है।

हालांकि वेदांता द्वारा सफल लॉबिंग का यह एकमात्र मामला नहीं है। अग्रवाल द्वारा मोदी को पत्र लिखने से एक साल पहले, कंपनी की सहायक कंपनियों में से एक, केयर्न ऑयल एंड गैस ने भी तेल अन्वेषण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई को रद्द करने की पैरवी शुरू कर दी थी। उपरोक्त खनन की तरह ही सरकार ने सार्वजनिक परामर्श की जरूरत को दरकिनार करते हुए चुपचाप कानून में संशोधन कर डाला था। जिसके नतीजे के रूप में राजस्थान के उत्तरी रेगिस्तान में केयर्न की कम से कम छह तेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई थी।

भारत के कारपोरेट नेताओं का अपनी सरकार पर जो प्रभाव है, उसका पर्यावरणीय प्रभाव और भी व्यापक हो सकता है। देश ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, और इसकी भारी उद्योगों को विनियमित करने की क्षमता जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास के लिए काफी मायने रखती है। सार्वजनिक रूप से, मोदी ने 2030 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करने और उसके बाद 40 वर्षो के भीतर शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का वादा किया है। लेकिन ओसीसीआरपी के निष्कर्षो की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि उनकी सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के मुकाबले तेल और खनन कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दी है।

भारत में महामारी से पहले भी देश का खनन उद्योग पर्यारवण नियमों को खत्म करने की कोशिश में कई सालों से लगा हुआ था। यह उद्योगपति विशेष रूप से सार्वजनिक परामर्श करने की जरूरत के नियम को हटाना चाहते थे। ऐसे परामर्श में स्थानीय लोग अपनी चिंताओं को उठा सकते थे और उद्योगों के विस्तार को रोक सकते क्यों कि इससे उनका जीवन और आजीविका प्रभावित होती है। उस प्रक्रिया को हटाने का विचार 2018 में आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि राज्य और संघीय दोनों सरकारों ने कहा कि यह उनके दायरे में नहीं था। आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि इस पर फिर से गंभीरता से चर्चा तभी हुई जब वेदांता के अध्यक्ष ने जनवरी 2021 में पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा। अग्रवाल द्वारा जावड़ेकर को लिखे पत्र के दो सप्ताह बाद, पर्यावरण मंत्रालय को फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉबी समूह के प्रमुख से इसी तरह का अनुरोध करने वाला एक पत्र मिला। दोनों ने बताया कि सरकार ने कुछ साल पहले कोयला खदानों के लिए नियमों बनाने के लिए भी ऐसा ही किया था इसीलिए अन्य प्रकार के खनन के लिए नियमों को फिर लागू करना एक साधारण मामला होगा। तब खनन सचिव ने नियमों में ढील देने का आह्वान किया और पर्यावरण मंत्रालय में अपने समकक्ष से कोयले के समान छूट पर विचार करने के लिए कहा।

ओसीसीआरपी के अनुसार वेदांता के सीईओ सुनील दुग्गल ने सीधे मोदी को पत्र लिखकर तर्क दिया कि प्रधानमंत्री पर्यावरणीय मंजूरी देने की मौजूदा पद्धति को खत्म करके तुरंत आर्थिक विकास के इंजन को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि इससे न केवल विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नौकरियां पैदा होंगी और देश के 'पिछड़े' हिस्सों में 'गरीबी कम करने' में मदद मिलेगी। मोदी के कार्यालय ने पत्र को पर्यावरण सचिव को भेज दिया, जो पहले से ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठकें और समितियां गठित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस विचार को आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अब जुलाई में एक बैठक की मिनट्स से पता चलता है कि अधिकारियों को डर था कि नियमों में ढील देने से कानून टूट जाएगा और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन को खुली छूट मिल जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों और खनन विशेषज्ञों से बनी संयुक्त विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की एक आंतरिक बैठक के सारांश में समान चिंताओं का उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि खनन उत्पादन में किसी भी वृद्धि के लिए किसी न किसी रूप में सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होनी चाहिए। अक्टूबर में, पर्यावरण मंत्रालय, जिसका नेतृत्व अब भूपेन्द्र यादव कर रहे थे, ने एक ज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें सार्वजनिक सुनवाई के बिना खदानों को केवल 20 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई–अग्रवाल और खनन उद्योग लॉबी समूह जो चाहते थे यह उसके आधे से भी कम था। लेकिन

शेष पेज 12 पर...

इंडिया बनाम भारत/गोवलकर बनाम देवरस, गोवलकर बनाम मोहन भागवत

चितपावन सम्राट मोहन भागवत जी और उनके संघ परिवार के लोग बताएंगे कि उन्हें इंडिया शब्द से कब से नफरत और भारत शब्द से प्यार हो गया है?

2. यदि इंडिया शब्द से उन्हें पहले से ही नफरत थी तो क्या कभी उन्होंने यह बात आगे बढ़ाई कि संविधान में 'इंडिया याने भारत' के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ भारत होना चाहिए?

3. यह कि क्या भारत शब्द संघ विचार, सिद्धांत और विचारकों के अनुकूल है?

4. क्या उन्होंने 28 दलों के विपक्षी गण्ठबन्धन द्वारा अपना नाम इंडिया रखे जाने से भयभीत होकर और उनकी एकता और सन्देश को मिल रहे व्यापक समर्थन तथा अपने स्वयं सेवक मोदी की खिसकती जमीन देख संविधान से इंडिया के स्थान पर भारत ही रखे जाने के विमर्श को आगे बढ़ाया है?

हमारे प्रिय पाठक कहेंगे कि संघ को तो शुरू से ही इंडिया शब्द से नफरत/एलर्जी रही है और भारत शब्द से प्रेम, और संघ बदल रहा है तो इसका सीधा अर्थ यह भी हो सकता है कि भेड़िये ने मांस खाना छोड़ दिया है। अगर यह भी मान लें तो संघ परिवार के एक एक स्वयं सेवक और हमदर्दो में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत क्यों भरी है? क्यों आये दिन प्रधानसेवक से लेकर उसके दास अल्पसंख्यकों के प्रति जहर ही नही उगल रहे हैं बल्कि उन पर हमलावर हैं? ध्यान रहे संघ का एक मुँह कुछ तो दूसरा कुछ और (विपरीत) बात कहने के अभ्यस्त हैं। संघ हमेशा दोमुँही बात से ही पनपता है। यह संघ की पॉलिसी (नीति) है। संघ कहीं नहीं बदलता। उसके गुरु गोलवलकर बता गए हैं कि संघ के दुश्मन हैं: 1. मुस्लिम 2. कम्युनिस्ट 3. ईसाई। वैसे गांधी जी भी थे जो निबटा दिये गए। संघ जैसा पैंतरेबाज संगठन कोई दूसरा नहीं है। वह संस्कृतिक और सामाजिक संगठन होने के दावे की आड़ में विशुद्ध प्रच्छन् राजनीतिक संगठन है। जब जब संघ पर संकट आया उसने पैंतरा बदला–संकट आया या जरूरत पड़ी उसने दूसरा पैंतरा बदला यथा संकट से बचने वह आजादी की लडाई से दूर रहा और अंग्रेजों का पैरोकार बना रहा। इसलिए उसने तब इंडिया शब्द का विरोध नहीं किया और नही भारत शब्द के प्रति प्रेम या आस्था व्यक्त की।

संघ ने पहले राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उसके द्वितीय सर संघ संचालक गोलवलकर ने उसे 'अशुभ' बताया और आज संघ और उसकी सरकार ने घर घर राष्ट्रीय ध्वज लहराने का कॉल भी दिया है। इसके पीछे पहला तो गोल्वलकर के पाप धोना दूसरा जगह जगह जब राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा तो बताना है कि संघ और बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज को कितना सम्मान देती है। असल मे यह कुछ नही है बल्कि जब जगह जगह ध्वज फटा गिरा होगा और अनेक पांवों और गाड़ियों के टायरों से कुचला जाएगा तो लोगों में उसके प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगेगी और अंततः गोलवलकर की बात पर मोहर लग जाएगी कि 'भगवा ध्वज ही राष्ट्र का प्रतीक है'। जैसा कि गोलवलकर ने कहा था 'एक दिन पूरा राष्ट्र इस ध्वज (भगवा) के समक्ष नत मस्तक होगा। पाठक वृन्द आपको याद होगा कि जब भारत का संविधान बना था तो इन्ही संघ प्रमुख ने उसकी घोर निंदा की थी और कहा था, इसमें अपना कहा जाने लायक कुछ नही है।

1948 में जब गाँधी जी की हत्या के फलस्वरूप जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो जेलो में अपने कार्यकर्ताओं

गिरधर की कलम से...

की रिहाई हेतु गोलवलकर ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि भारत सरकार का व्यवहार सेक्युलर हो इस कल्पना से संघ सहमत है। उन्होंने संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने का भी भारत सरकार को आश्वासन तक दिया था। (सरकारी विज्ञप्ति के तमाम अंश, श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 2, उ, शम्सुल इस्लाम, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पृष्ठ, 15) जाहिर है कि संघ जैसा मौकापरस्त संगठन इस देश में कोई दूसरा नही है।

गुरुजी इस देश को हिंदुस्तान नहीं बल्कि, 'हिंदूस्थान' कहते थे जैसा की उनका कहना है कि: अगर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि हिंदुस्थान हिंदुओं की भूमि है' (एम एस गोलवलकर, हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित पेज 83) विडम्बना तो यह भी है कि वे भारतीयों को 'भारतीय, 8 कहे जाने पर आपत्ति भी करते हैं! उन्हीं के शब्दों में: हमने खुद को एक ऊटपटांग नाम 'भारतीय' के तहत खुद को अपने पुराने आक्रमणकारियों और शत्रुओं के साथ एक ही श्रेणी में शामिल करना शुरू कर दिया है और अपने इस संघर्ष में उन्हें शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी–(एम एस गोलवलकर,उपरोक्त, पेज 48) पाठक आश्चर्यचकित होते होंगे की गुरुजी जैसे व्यक्ति को भारतीय शब्द और भारतवासियों को भारतीय कहे जाने से कितनी नफरत थी। जाहिर है जिसे इस देशवासियों को भारतीय कहे जाने पर चिढ़ थी तो इस देश को भारत कहे जाने पर स्वभाविक रूप से आपत्ति थी। फिर संघ परिवार और उसकी बीजेपी सरकार को कब से भारत शब्द से प्यार हो गया है। तो क्या वे गोलवलकर से सहमत नही है अगर सचमुच असहमत हैं तो ऐसी घोषणा करने का साहस दिखा सकते हैं? लेकिन न मोहन भागवत और न नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कभी करेगी। सब दोमुँही बात ही करेंगे। समय के साथ पलटी मारते रहेंगे।

हमने देखा कि 1939–40 में संघ के सिद्धान्तकार गुरु गोलवलकर को भारतीय शब्द से कितनी चिढ़ थी आगे चलकर गोलवलकर का अपनी किताब बंच ऑफ थॉटस में कहते हैं कि –भारतीय का अर्थ वही है जो 'हिंदू' का है। लेकिन आज भारतीय शब्द के संबंध एक अवधारणा मौजूद है। सामान्यतः इसे 'इंडियन' शब्द का का अनुवाद माना जाता है जिसमें देश में रहने वाले मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न संप्रदायों का समावेश होता है। इसीलिए 'भारतीय' शब्द भी हमें भुलावे में डाल सकता है। यदि हम उसके द्वारा अपने विशिष्ट समाज का बोध करना चाहें। एकमात्र 'हिंदू' शब्द ही सही रूप से उस अर्थ का बोध करा सकता है। (बन्च ऑफ थॉट्स पेज 98 हिंदी अन्यवाद विचार नवनीत पेज 99–100) आज संविधान से इंडिया याने भारत के स्थान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और उसके सह संगठन बीजेपी की सरकार इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत करने पर उतारू है। उनका तर्क है कि इंडिया गुलामी की मानसिकता का पर्यायी है। ठीक है लेकिन प्रश्न उठता है कि पूरी आजादी की लडाई के दौरान संघ ने इंडिया शब्द् हटवाने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि डाक्टर हेडगेवार के अनुसार–संघ को चाहिए कि वह फौरी उत्तेजना और भावनाओं के विस्फोट वाले कार्यक्रमों से खुद को दूर रखें। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने से संघ के अस्तित्व पर असर पड़ सकता है।' उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि:––'संघ का अस्तित्व खतरे में डालकर आंदोलन की सहायता करने की संघ की नीति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अतः आंदोलन से बिल्कुल समरस होना उचित नही है। भिषिकर संघ बृक्ष के बीज डाक्टर केशव राव हेडगेवारर (डाक्टर हेडगेवार ,पत्र रूप पेज 1 शम्सुल इस्लाम भारत में अलगाववाद और धर्म राष्ट्रीय स्वयमसेवक संघ का अध्ययन पेज164) गुरु गोलवलकर भी इसी का अनुसरण करते रहे। जैसा कि उनका स्वयं कहना है कि हमें स्मरण होगा कि हमने प्रतिज्ञा में धर्म और संस्कृति की रक्षाकर राष्ट्र को स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। उसमें अंग्रेजों के जाने न जाने का उल्लेख नही है। (एम एस गोलवलकर, श्री गुरुजी, संगर्दर्शन खण्ड 4 उद्धृत शम्सुल इस्लाम पूर्वोक्त ,पेज 166) इतना ही नहीं अंग्रेजों के साथ संघ को भारी हमदर्दी थी उनके निरन्तर भारत में रहने की उनकी ख्वाहिश थी। दो चार पत्र अंग्रेज बहादुर को लिख देते लेकिन ऐसा भी नही किया ताकि उन पर विरोधी होने का बिल्ला न लगे। याने उसे तब गुलामी पसंद थी। वह अंग्रेज के साथ कदम मिलाकर चलने मे विश्वास करता था और वही करता रहा। जब संघ परिवार के गोलवलकर रचित दो ग्रंथ भारत और भारतीय शब्द को दृढ़ता, से अस्वीकार करते हैं तो फिर मोहन भागवत और मोदी क्यों भारत शब्द पर जोर डाल रहे हैं? क्या उनकी नियत साफ है? यदि वे उसके प्रति निष्ठावान हैं तो उन्हें खुलेआम घोषणा करनी चाहिए कि उनके गुरु गोलवलकर गलत थे और वे उन्हें नकारते हैं। लेकिन उनके पूरे कुनबे में यह साहस नही है और भारत तथा भारतीय शब्द से उन्हें जरा भी प्यार नही है उन्हे तो केवल हिंदू शब्द ही प्रिय है और प्रिय है 'हिंदुस्थान'। जाहिर है मोदी भागवत एंड कम्पन ने खास षड्यंत्र के तहत यह विमर्श आगे बढ़ाया है ताकि अपनी असफलताओं पर पर्दा डाला जा सके। और मोदी की दरकती राजनीतिक जमीन को पुर्णतः समाप्त होने से बचाया जा सके। (क्रमश)

भाकपा की जबरदस्त जनसभा का आयोजन

बस्तर, 18 सितंबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक जनसभा का आयोजन मंगडू कवासी की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर भाकपा के पूर्व विधायक व राज्य सचिव मनीष कुंजाम मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में जनसभा में मौजूद थे। उनके अलावा जिला सचिव रामा सोडी, ब्लाक सचिव गंगा राम नाग, हादा कवासी, जीआर नेगी, आरधना मरकाम, मंजू कवासी, एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुंजाम भी उपस्थितथे।

इस दौरान वक्ताओं ने वर्तमान सरकार व मंत्री कवासी लखमा पर जमकर हमला बोला और कहा कि

उन्होंने सुकमा में कोई जनता की मुलभूत समस्याओं को पूरा नही किया और वो वादों से मुकर गये। इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगामी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जगल, जमीन के अधिकार पर चुनाव लडेगी।

इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनाधर नाग, रामधर बघेल, माड़वी हड़मा, वेको हांदा, जीवन बघेल, गंगा बघेल, राजेश नाग, शैलेन्द्र कश्यप, हड़मा मरकाम, हिडमा माडवी, उमेश मरकाम, सहित बडी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता महिला पुरूष और आम जनता उपस्थित थी।

अर्थव्यवस्था और विकास के सरकारी दावे बेबुनियाद व अविश्वसनीय

मुकेश असीम

नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद से आर्थिक वृद्धि के बड़े–बड़े दावों की फिर से एक बाढ़ जैसी आ गई है। जैसे–जैसे 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है यह दावे लगातार पहले से भी बड़े और ऊंचे होते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बातें उछाली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई विश्व की सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि से भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कुछ समय में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मौजूदा भारतीय मीडिया जगत का अधिकांश हिस्सा इन दावों को बिना किसी प्रश्न या जांच पड़ताल के स्वयंसिद्ध सत्य की तरह परोस रहा है।

किंतु अगर कोई गंभीर आर्थिक विशेषज्ञ इन दावों को प्रमाणित करने को कहे तो सरकार और उसके आर्थिक व सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकेगा। सरकारी सांख्यिकी संस्थानों के आंकड़ों का अध्ययन बताता है कि इनमें से अधिकांश दावे बेबुनियाद हैं अर्थात सरकारी विभागों व संस्थानों के आंकड़े ही इनकी पुष्टि नहीं करते या जिन तथ्यों को आधार बनाकर ये ऊंचे दावे किए जा रहे हैं वे दशकों पुराने तथ्य हैं। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र और संघटन में भारी अंतर आ चुका है। अतः इनके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उसमें होने वाली आर्थिक वृद्धि दर की गणना पर कोई गंभीर आर्थिक विशेषज्ञ भरोसा नहीं कर सकता। जीडीपी ही नहीं, रोजगार, महंगाई, प्रति व्यक्ति आय, आदि सभी आंकड़ों की स्थिति ऐसी ही अविश्वसनीय व निराधार है।

अन्य विवरण के पहले हम जीडीपी आंकड़ों की गणना पद्धति व पुराने तथ्यों की वजह से उसमें पड़ने वाले बेहद भारी अंतर को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का आधे से अधिक हिस्सा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में रहा है। इसमें कृषि ही नहीं, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के बडे भाग भी शामिल है। इसे अनौपचारिक कहते ही इस नाते हैं क्योंकि इसके कोई खाते व आंकड़े उपलब्ध ही नहीं होते। अतः जीडीपी की गणना करते समय इस हिस्से को अनुमान के आधार पर ही जोड़ना होता है। यह अनुमान लगाने की पद्धति में गलती से इनमें भारी अंतर संभव है। अतः इस पद्धति का तार्किक व पारदर्शी होना आवश्यक है जिसे स्वतंत्र अध्येताओं द्वारा भी परखा व प्रमाणित किया जा सके।

जहां तक औपचारिक क्षेत्र का सवाल है उसके उत्पादन के आंकड़े पहले उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त होते थे। आजकल ये कंपनियों द्वारा की गई ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए बनाए गए एमसीए–21 डाटाबेस से प्राप्त होते हैं। इससे औपचारिक क्षेत्र के आंकड़े मिलने की गति तो तीव्र हुई है, पर इसमें निष्क्रिय कंपनियों की भरमार की समस्या भी है जिनके कुछ साल पहले दी गई जानकारी के आधार पर ही उनके वर्तमान प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। पर यहां हम उससे भी अधिक महत्वपूर्ण औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों के आंकड़ों को मिलाकर की जाने वाली जीडीपी गणना की समस्या पर ही चर्चा तक सीमित रहेंगे। अतः सकल जीडीपी डाटा पर पहुंचने में औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों का योग कैसे किया जाता है इसको एक उदाहरण से समझना जरूरी है।

हम मोदी सरकार द्वारा जीडीपी गणना हेतु 2015 में शुरू नई नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स सीरीज को लेते हैं जिसका आधार वर्ष 2011–12 है। इसके अनुसार 2011–12 में कुल सालाना मूल्यवर्द्धन (ग्रोस वैल्यू एडेड) का औपचारिक–अनौपचारिक हिस्सा क्रमशः 46.1 व 53.9 प्रतिशत था। 2016–17 में यह क्रमशः 47.3 व 52.7 प्रतिशत तथा 2017–18 में क्रमशः 47.6 व 52.4 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अगर वर्ष 2011–12 में औपचारिक क्षेत्र में कुल उत्पादन 100 रुपया हुआ तो इसमें अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान 116.92 रुपया जोड़कर कुल जीडीपी 216.92 रुपया बनी। इसी तरह 100 रुपया औपचारिक उत्पादन में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान 2016–17 में 111.42 रुपया और 2017–18 में मात्र 110.08 रुपया जोड़ा गया अर्थात अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र का भाग जितना बढ़ता जाता है, उसमें जुडने वाला अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है।

निश्चय ही अनुमान होने के कारण इसमें गलतियां पहले भी होती थीं। लेकिन समय–समय पर अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात गैर कंपनी व्यवसायों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराकर इन अनुमानों/आंकड़ों को जांच व सही कर लिया जाता था। साथ ही नियमित आर्थिक जनगणना, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण व रोजगार सर्वेक्षण आदि भी सांख्यिकीय गणनाओं को प्रमाणित करने में काफी हद तक मदद करते थे। किंतु मोदी सरकार ने इन सब सर्वेक्षणों की प्रक्रिया को ठप कर दिया है। गैर कंपनी व्यवसाय सर्वेक्षण 13 साल से नहीं हुआ है। आर्थिक जनगणना 9 साल से नहीं हुई है। उपभोक्ता व्यय व रोजगार सर्वेक्षण 12 साल पहले हुए थे। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण इसके 5 साल बाद 2015–16 में भी हुआ था। मगर उसके परिणामों ने सरकारी दावों के विपरीत आय व गरीबी की ऐसी खराब तस्वीर पेश की कि सरकार ने अपने ही सर्वेक्षण को रद्द कर इसके आंकड़े जारी करने से इंकार कर दिया।

यहां ऊपर दिए गए 2011–12 से 2017–18 के आंकड़ों के आधार पर कोई कह सकता है कि औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़ों में परिवर्तन बहुत धीमा होता है, अतः इस कारण जीडीपी के आंकड़ों में बड़ी गलती नहीं हो सकती। परंतु यहीं हमें पिछले 7 साल के आर्थिक घटनाक्रम और तत्संबंधी सरकारी दावों पर गौर करना चाहिए। इस दौरान नोटबंदी, जीएसटी, डिजिटल–कैशलेस, कोविड लॉकडाऊन, आदि व्यापक आर्थिक महत्व की घटनाएं हुई हैं। सरकारी दावा है कि यह सब उसने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए किया है। इसमें बड़ी सफलता का दावा करते हुए सरकार प्रमाण बतौर जीएसटी वसूली की रकम में तेज वृद्धि के आंकड़े पेश करती है।

अतः अर्थव्यवस्था में औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्र के अनुपात के अनुमान में गलती जीडीपी के आंकड़ों में भारी फेर बदल करने में सक्षम है। यह फेर बदल कितना हो सकता है इसके लिए हम एक ओर तो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े प्रशंसक एसबीआई के प्रधान अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष (खुद नरेंद्र मोदी उनके निष्कर्षों को उद्धृत कर चुके हैं) द्वारा प्रस्तुत अनुमान को लेते हैं। घोष के मुताबिक 2017–18 के पश्चात 3 सालों में औपचारिकीकरण की प्रक्रिया बेहद तीव्र हुई है जिससे 2020–21 में अनौपचारिक क्षेत्र अत्यंत तेजी से घटकर अर्थव्यवस्था का मात्र 15–20 प्रतिशत ही रह गया है। इसके विपरीत लंदन स्थित वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले वर्ल्ड इकॉनेमिक्स संस्थान के अनुमानानुसार यह 2023 में भी 43.1 प्रतिशत के स्तर पर है।

इन दो विपरीत अनुमानों के आधार पर जीडीपी गणना में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। वर्ल्ड इकॉनेमिक्स के अनुमान को लें तो औपचारिक क्षेत्र की 100 रुपया जीडीपी में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान (73.17 रुपया) जोड़ने पर कुल जीडीपी 173.14 रुपया बनता है। वहीं, घोष के अनुमान के निचले सिरे 15 प्रतिशत को लें तो यह 117.65 रुपया बनेगा एवं ऊपरी स्तर 20 प्रतिशत को सही मानें तो कुल जीडीपी 125 रुपया होगा। अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र के दोनों विपरीत अनुमानों पर गणित जीडीपी में कुल 47 प्रतिशत का अंतर पड़ जाएगा। घोष के अनुमान के आधार पर जीडीपी गणना की जाए तो कुल जीडीपी आधिकारिक आंकड़ों से बहुत कम निकलेगी अर्थात नकारात्मक वृद्धि सिर्फ लॉकडाउन के समय ही नहीं हुई, उसके बाद भी हुई है।

इससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक–औपचारिक क्षेत्र के तथ्यात्मक आंकड़ों के अभाव में दुनिया भर के अर्थ विशेषज्ञों व सांख्यिकीविदों की नजर में जीडीपी के वर्तमान दौर में जारी किए जा रहे आंकड़ों की विश्वसनीयता अत्यंत संदिग्ध है। यह संदेह तब तक दूर नहीं होगा जब तक सरकार पारदर्शी पद्धति से सर्वेक्षणों द्वारा आर्थिक गतिविधि के तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करती।

ऊपर हमने कुछ सर्वेक्षणों के पुराने होने के उदाहरण दिए। इसी तरह आर्थिक गणनाओं में प्रयोग होने वाले कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो जनसंख्या की गणना 2011 में हुई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जिनके आधार पर बहुत से आंकड़े गणित किए जाते हैं वे एनआईसी कोड्स 2008 के हैं। किस माल के उत्पादन में क्या अव्यव कितनी मात्रा में प्रयोग होते हैं इसकी इनपुट–आउट्पुट सारणियां 15 साल पुरानी हैं जबकि इस बीच औद्योगिक उत्पादन तकनीक में काफी अंतर आए हैं। थोक व खुदरा महंगाई सूचकांक गणना के लिये प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की सूचियां 12 साल पुरानी हैं जबकि हम जानते हैं कि इस बीच उपभोग्य वस्तुओं में काफी अंतर आया है। उदाहरण के तौर पर निजी स्कूल, ट्यूशन–कोचिंग, निजी अस्पतालों के प्रयोग की मजबूरी ही नहीं बढ़ी है, ये सब बहुत तेजी से महंगे भी हुए हैं। परंतु इन व अन्य ऐसी बढते उपभोग वाली वस्तुओं (जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस) की महंगाई को सूचकांक की गणना में समुचित वजन नहीं दिया गया है। किंतु उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ही 12 साल पुराना है तो मूल्यवृद्धि सूचकांक का आधार भी पुराना ही रहने वाला है।

एक और महत्वपूर्ण उदाहरण 12 साल पुराने आधार वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है जबकि इस दौर में अहम औद्योगिक परिवर्तन हुए हैं। किंतु यह सूचकांक जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों से कोई मेल ही नहीं दिखा रहा है। अगर 2016 से 2023 के 7 सालों के आंकड़े देखें तो इसके वर्गीकरण के अनुसार 23 औद्योगिक क्षेत्रों में से 12 में उत्पादन गिरा है। ये क्षेत्र कोई पुराने औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं हैं जिन्हें माना जा सके कि ये अब उतार की ओर हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, धातु, पूंजीगत वस्तुओं जैसे अहम औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। अगर इन 12 क्षेत्रों में उत्पादन गिरा है तो आर्थिक वृद्धि तीव्र होने के दावे कितने विश्वसनीय माने जा सकते हैं?

स्पष्ट है कि मोदी सरकार तीव्र आर्थिक वृद्धि के जो दावे कर रही है उन्हें पारदर्शी आंकड़ों के साथ प्रमाणित करने का कोई आधार ही मौजूद नहीं है। अतः आर्थिक वृद्धि दर की विश्वसनीयता पर कोई गंभीर टिप्पणी ही नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि एक और तीव्र आर्थिक वृद्धि के सरकारी दावे हैं जिनका दूसरी ओर अधिकांश जनता के जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आर्थिक वृद्धि सरकारी दावों के मुताबिक होती तो पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण के बावजूद भी मेहनतकश जनता के जीवन में कुछ हद तक तो जरूर सुधार दिखाई पड़ता। मगर पूरे देश में मेहनतकश जनता का कटु तजुर्बा है कि आय व रोजगार घट रहे हैं, बेरोजगारी व महंगाई बढ़ रहे हैं और जिंदगी पहले से बदतर होती जा रही है।

कुछ सामयिक घटनाक्रम और मुद्दे

आर.एस. यादव

भारतीय मुद्रा रिकार्ड निम्न स्तर पर पहुंची

18 सितंबर 2023 को डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट ने एक ऐतिहासिक रिकार्ड बना दिया। रुपए का मूल्य 83.29 प्रति डॉलर तक नीचे चला गया। मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तब रुपए का मूल्य 54–55 रुपए प्रति डॉलर था। रुपए के मूल्य में यह गिरावट अर्थव्यवस्था वृद्धि के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। सामान्यतः किसी देश की अर्थव्यस्था का आकलन इस बात से भी किया जाता है कि वहां की मुद्रा का मूल्य क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख कैसी है। कहने को भले ही आर्थिक स्थिति में लगातार बेहतरी का दावा किया जाए लेकिन रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट आशंकाएं पैदा करती है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, देश में आयात और निर्यात, दोनों ही मोर्चो पर गिरावट दर्ज हुई है और एक तरह से इस मामले में निराशा हाथ लगी है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का निर्यात 6.86 प्रतिशत घटकर 34.48 अरब डालर रह गया जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 37.02 अरब डालर का था। इसी प्रकार आयात में भी गिरावट आई और यह 5.23 प्रतिशत घटकर 58.64 डालर रह गया जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 61.88 अरब डालर का था।

घरेलू बचत 34 साल के सबसे निचले स्तर पर

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा डेटा के अनुसार 2022–23 में घरेलू बजट 13.77 करोड़ रुपए रही जो देश की जीडीपी का केवल 5.3 प्रतिशत है जबकि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 2021–22 के मुकाबले 19 प्रतिशत घट गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेशिंयल सर्विसिस के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता के अनुसार घरेलू बचत में यह आंकड़ा 34 साल में सबसे कम है। घरेलू बचत में यह कमी देश के आम परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में इशारा करती है और वह उतनी बचत नहीं कर पा रहे हैं जितनी पहले किया करते थे। यह उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ गिरावट का संकेतक है। इतना ही नहीं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, परिवारों की देनदारियां बढ़ गई हैं। 2020–21 में परिवारों की देनदारियां जीडीपी की 3.8 प्रतिशत थी जो 2022–23 में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई हैं। आजादी के बाद जीडीपी के मुकाबले पारिवारिक देनदारियों का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। घरेलू बचत घटने की बड़ी वजह एक साल में बड़ी देनदारियां हैं। आखिर आम परिवारों की बचत कहां खर्च हो रही है? इसका इसके सिवा क्या उत्तर हो सकता है कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे घरेलू बचत महंगाई पर खर्च हो रही है।

फसल बीमा से बीमा कंपनियों को फायदा, किसानों को नहीं

कृषि विशेषज्ञ देविन्दर शर्मा के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों ने पिछले पांच वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र मुनाफे का अच्छा कारोबार बनता जा रहा है।

अजीब बात है कि फसल बीमा की परिकल्पना किसानों के फायदे के लिए की गई परंतु फायदा बीमा कंपनियों का हो रहा है। देश के अधिकतर किसानों को फसल बीमा का उचित लाभ नहीं मिलने से उनकी वित्तीय सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसानों की फसल बर्बाद होने पर उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए परंतु बीमा कंपनियां और संबंधित अधिकारी मिलीभगत कर किसानों के मुआवजे के दावों में ऐसी खामियां निकाल देते हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता। अधिकतर किसानों को फसल बीमा का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि निजी बीमा कंपनियों की शर्तो को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है; कोई न कोई कारण बताकर किसानों को नुकसान के बदले मुआवजा नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों को मेहनत और प्रीमियम चुकाने के बाद भी बीमा नहीं मिल पाता।

''विश्वगुरु''

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शिखर सम्मेलन में आए विभिन्न नेताओं का स्वागत–सत्कार करते हुए, गले लगाते हुए टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण किया गया। समाचार माध्यमों में मोदी के गुणगान गाए गए। कुछ ने भारत को ''विश्वगुरु'' बताना शुरू कर दिया तो कुछ ने प्रधानमंत्री मोदी को। प्रचार किया जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा तमाम गर्मजोशी दिखए जाने के बावजूद शिखर सम्मेलन से कनाडा वापस लौटते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अक्टूबर में प्रस्तावित भारत और कनाडा के बीच एक व्यापार समझौते को रद्द करने का एलान कर दिया और उस पर प्रतिक्रिया करते हुए भारत ने भी उस मुख्य व्यापार समझौते को भंग करने का संदेश दे दिया।

जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के दस दिन भी न गुजरे थे कि कनाडा से ही खबर आई कि 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद के आपात सत्र में कह दिया कि गत जून में तथाकथित खालिस्तानी समर्थक एवं अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर (जो कनाडा का नागरिक था) की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ था। ट्रूडो ने कहा कि ''कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की भागीदारी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और यह अस्वीकार्य है।''

ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत की सुरक्षा एवं गुप्तचर एजेंसियों का संबंध होने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और इस मामले को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इंगलैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने भी उठाया है और मैं दृढ़ता के साथ मांग कर रहा हूं कि इस स्थिति पर प्रकाश डालने में भारत सरकार सहयोग करे।

इससे एक राजनयिक तूफान उठना ही था। कनाडा ने हत्या के तार भारत से जुड़े होने का आरोप लगाकर कनाडा में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया। कनाडाई प्रसारक ''सीबीसी न्यूज'' के अनुसार, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली के कार्यालय ने बताया कि निष्कासित किए गए राजनयिक पवन कुमार राय ''रिसर्च एंड एनेलिसिस विंग'' (रा) के प्रमुख हैं। कनाडाई नागरिक निज्जर की दो अज्ञात बंदूकधारियों ने गत 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ट्रूडो ने संसद में कहा था कि जून में निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच ''संभावित संबंध के पुख्ता आरोपों'' की कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही हैं।

कनाडा की कार्रवाई के जवाब में भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरुन मैके को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और उन्हें कनाडा के एक राजनयिक को भारत से निष्कासित करने की सूचना दी गई।

विदेश मंत्रालय ने भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कनाडा ने हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत की संलिप्तता के आरोप ''बेतुके'' और ''बेबुनियाद'' हैं। मंत्रालय ने कहा, ''इस तरह के बेबुनियादी आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय प्रदान किया गया है और जो भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं।'' उसने कहा, ''ऐसे ही आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान भी लगाए थे, जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।''

कनाडा ने इस संबंध में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी अपनी जांच के संबंध में जानकारी दी है और इन देशों ने जांच के लिए कनाडा की कोशिशों का समर्थन किया है।

अमेरिका ने निज्जर की हत्या की गहन जांच का समर्थन किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा, ''जाहिर है, इस तरह के किसी भी आरोप से किसी को भी परेशानी होगी। लेकिन एक सक्रिय आपराधिक जांच के साथ, मुझे उम्मीद है कि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपराधियों को कठघरे में लाया जाए।'' उन्होंने कहा, ''किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम सभी जानकारी जुटाने और जांच की अनुमति देते हैं।''

अमेरिकी राजदूत रणनीतिक मामलों के अग्रणी थिंक–टैंक अनंता सेंटर में बोल रहे थे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता और विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए गार्सेटी ने कहा कि संप्रभुता एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा, ''हम नियमित रूप से संवाद करते रहे हैं।''

उल्लेखनीय है कि कनाडा ''फाइव आईज अलायंस'' (पांच आंख गठबंधन) का सदस्य है। इस गठबंधन में अमेरिका, इंगलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। यह गठबंधन इन देशों के बीच गुप्तचर जानकारी साझा करने का एक तंत्र है। इसी तंत्र के अनुसार, कनाडा ने निज्जर की हत्या के संबंध में जानकारी को अमेरिका, इंगलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साझा किया है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में भारत को कनाडा द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

जी20 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद कनाडा से उठे इस बवाल के अलावा तुर्किये के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने 19 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 78वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। महासभा की आम बहस में विश्व नेताओं को दिए गए संबोधन में एर्दोगान ने कहा, ''भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद तथा सहयोग के जरिये कश्मीर में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की स्थापना कर दक्षिण–एशिया में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।'' एर्दोगान ने 2020 में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम बहस से पहले से रिकार्ड किए गए विडियो बयान में जम्मू–कश्मीर का उल्लेख किया था।

जाहिर है भारत सरकार को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या के संबंध में भारत की सरकारी एजेंसियों का जिक्र और इस मामले को अमेरिका, इंगलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने उठाया जाना नागवार गुजरा है।

एर्दोगान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना भी भारत के लिए नागवार है। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इन नेताओं के साथ जिस गर्मजोशी का प्रदर्शन किया जा रहा था और भारत के और प्रधानमंत्री मोदी को ''विश्वगुरु'' का जो खिताब देने की कोशिश हो रही थी, क्या वह सब पाखंड और मिथ्या प्रचार था?

इस प्रकरण में कोलकाता के अंग्रेजी समाचार पत्र ''द टेलीग्राफ'' (21 सितंबर 2023) में प्रकाशित निम्न रिपोर्ट, ''दूसरे लोग इसे कैसे देखते हैं'', पठनीय है:

''फाइव आईज अलायंस'' (जो एक गुप्तचर गठबंधन है और जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है) में कनाडा के साझीदार खालिस्तानी अलगाववादी की कनाडा की धरती पर हत्या में संभावित भारतीय सरकार की भूमिका के ओटावा के आरोप पर इस प्रकार प्रतिक्रिया की है:

अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक संचार परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने एक साक्षात्कार में कहा: निश्चित रूप से राष्ट्रपति जो बाइडेन इन गंभीर आरोपों के प्रति सचेत हैं और वे आरोप बहुत गंभीर हैं। हम इसकी जांच के लिए कनाडा के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि पूरी तरह से पारदर्शी, व्यापक जांच एक सही दृष्टिकोण है ताकि हम सब जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था और निश्चित रूप से हम भारत को उसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका के पास वह खुफिया जानकारी है जिसका उपयोग ट्रूडो कर रहे हैं, किर्बी ने कहा: ''मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि इस जांच की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं यहां जो कुछ भी कहता हूं उसके बारे में सावधान रहूंगा और यहां अंतर्निहित जानकारी के बारे में बात करने के लिए इसे कनाडा पर छोड़ दूंगा'' और वह क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं हम उस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।

यदि यह सच है और साबित किया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा की संप्रभु भूमि पर एक व्यक्ति की हत्या का आदेश दिया तो इसके

शेष पेज 9 पर...

निशाने पर 'भारत क संविधान'

निर्णायक जंग अब भारत की जनता बनाम ''साम्प्रदायिक फासिस्टों'' के बीच

अचानक अगस्त महीने में सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों की ओर से ''भारत का संविधान'' ,खत्म कर उसके स्थान पर नया संविधान लिखने और उसे लागू करने की प्रायोजित चर्चा जोर–शोर से शुरू की गई है। मौजूदा भारत के संविधान को इन ताकतों की ओर से औपनिवेशिक विरासत और पुरातनपंथी करार दिया गया है। दलील दी जा रही है कि भारत के तेज विकास के लिए संविधान बदलना जरुरी है। संविधान में वर्णित हम भारत के लोग, स्वतंत्रता समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद जैसे शब्द भारत के विकास में बाधक कैसे हैं, इस पर प्रकाश डालने में वे असमर्थ हैं।

क्या पुरुष महिला को मिले समान अधिकार, जाति, मजहब और लिंग से हटकर सभी को मतदान का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीने का समान अधिकार के साथ संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हमारे विकास में बाधक हैं? मौजूदा सत्ता प्रायोजित संविधान बदलने के विचार न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि हर भारतीय को चिंतित एवं सजग होने की जरुरत है।

पारदर्शी और जन भागीदारी के द्वारा महान नेताओं के संरक्षण और दिशानिर्देश में लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा द्वारा दो साल ग्यारह महीने और सत्रह दिनों की समयावधि में निर्मित ''भारत का संविधान'' को दुनिया के श्रेष्ठतम ''संविधानों में से एक माना जाता है। लेकिन अब फासिस्टों द्वारा पुराने संसद भवन की तरह ही उसे ''औपनिवेशिक विरासत'' कहा जा रहा है।

''भारत का संविधान'' ने अपने 73 वर्ष की अवधि में यह साबित कर दिया है कि विविधताओं से भरे इस देश में अपने लचीलेपन, गतिशीलता और स्वीकार्यता के कारण वह देश को एकसूत्र में बांधते हुए प्रगति पथ पर ले चलने में पूर्ण सक्ष्म है। चूंकि विभाजनकारियों की फूटवादी नीतियों पर नकेल कसने की पूरी शक्ति संविधान में मौजूद है, इस वजह से संविधान को ही किनारे लगाने की फिराक में वे लग गए।

''भारत का संविधान'' दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो लागू होते ही देश के सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे वह पुरुष हो या महिला मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है। उस प्रावधान का सबसे प्रबलतम विरोध संविधान बदलने की वकालत करने वाली भाजपा के अभिभावक संगठन आरएसएस की ओर से किया गया था, जब गोलवलकर ने नवंबर 1947 को ही घोषणा कर डाली कि **''वे कुत्ते–बिल्लियों को अधिकार देने से ज्यादा कुछ नहीं है।''**

संघ संचालित साम्प्रदायिक फासिस्टों द्वारा संविधान बदलने की मांग अनायास नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संविधान लागू होते ही उसे अस्वीकार कर चुका है। भाजपा की सैद्धांतिक पुस्तक **''विचार नवनीत'' के पृष्ठ 237 में गोलवलकर लिखते है। ''हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों में से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी–भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे हम अपना कह सकें।''**

भाजपा नेताओं के श्रद्धेय सावरकर ने **''मनुस्मृति''** को ही भारत का संवधान घोषित करने की सलाह दी थी।

आरएसएस के विचारों के अनुकूल जब–जब भाजपा को मौका मिला संविधान पर निशाना साधने की नापाक कोशिश हुई। 200 में अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक न्यायिक आयोग बनाकर संविधान की समीक्षा कराने की कोशिश की।

चूंकि यह विभिन्न दलों के एक विशालकाय गठबंधन वाली सरकार थी और शासन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा भी था इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी।

2016 में अरुण जेटली ने यह मांग दुहराई। 2017 में नरेन्द्र मोदी के भरोसेमंद केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार ने तो घोषणा कर डाली कि भाजपा सत्ता में आई है भारत का संविधान बदलेंगे।

संसद के इसी मानसून सत्र के अंतिम दिन आईपीसी और सीआरपीसी को औपनिवेशिक कानून कहकर उसे समाप्त कर उसके स्थान पर ''न्याय संहिता'' के नाम पर नए कानून लाने को देश के कई जाने–माने कानूनविद् संविधान बदलने और तानाशाही कायम करने का पूर्वाभ्यास मानते हैं।

भारत की जनता को आज भी याद है कि 2014 में नरेन्द्र मोदी ने किस तरह संसद भवन की सीढ़ियों के दंडवत प्रणाम करने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में उसी संसद भवन को औपनिवेशिक विरासत करार देते हुए उन्होंने अपने सपनों का सेंगोल युक्त संसद भवन बनवाया।

फिर 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने ''भारत का संविधान'' को प्रणाम किया था। अब संविधान को भी औपनिवेशिक विरासत करार दिया गया है।

हिटलर भी संवैधानिक रास्ते की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा था।

बाद में दुष्परिणाम पूरी दुनिया के सामने दिखाई दिया। नरेन्द्र मोदी का अभिभावक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिटलर का यशोगान करते थकता नहीं। **''हम और हमारी राष्ट्रीयता'' पृष्ठ 73–74 में गोलवलकर लिखते हैं ''जर्मनी ने यह दिखा है कि किस तरह ऐसे नस्लों तथा संस्कृतियों का, जिनकी भिन्नताएं उनकी जड़ों तक जाती हैं, एक एकीकृत समग्रता में घुलना–मिलना लगभग असंभव ही है। यह हिन्दुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों।''**

गोलवलकर की बातों को आगे बढ़ाते हुए सावरकर 1940 में कहते हैं–''नाजीवाद निःसंदेह रूप से जर्मनी का मुक्तिदाता सिद्ध हुआ।''

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष से, जिनका काम विभिन्न आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए इस देश में उसके निदान के लिए सलाह देना है, उसे किनारे करते हुए संविधान के विरोध में लेख लिखवाया जा रहा है, वह भी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2023 को। लेख के माध्यम से लगता है कि उन्हें आरएसएस के एजेंडे को सामने लाने की जवाबदेही सौंपी गई थी।

आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष विवेक देवरॉय के अनुसार, ''भारत का संविधान''अब भारत के विकास में बाधक है। उन्हें प्रस्तावना से भी आपत्ति है।

इस लेख से एक सप्ताह पूर्व ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने, जो भाजपा नेतृत्व की अनुकंपा से राज्यसभा के सदस्य हैं और साढ़े तीन वर्षों में पहली बार सदन के भीतर बोलते हुए संविधान के मौलिक ढांचे पर भी बहस की वकालत की। जिस वक्त वह बोल रहे थे उस समय सदन के भीतर सत्ता पक्ष की ओर से मेज थपथपाकर उन्हें उत्साहित किया जा रहा था जबकि यह पहले से ही स्पष्ट है कि चाहे जितना प्रचंड बहुमत वाली सरकार हों, संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती।

ये वही रंजन गोगोई हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के उन चार कार्यरत जजों में शामिल थे जिन्होंने देशवासियों को लोकतंत्र पर उत्पन्न खतरों से आगाह किया था। लेकिन आज गोगोई का हृदय परिवर्तन करा लिया गया है। ये वही गोगोई हैं जिनके मुख्य न्यायाधीश रहते समय एक महिला कर्मचारी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और आरोप पर सुनवाई कर रही पीठ में स्वयं गोगोई साहब भी शामिल थे।

उस पर नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री का वैदिक कर्मकांड और सेंगोल की स्थापना, सारे के सारे तार एक–दूसरे से जुड़ रहे हैं।

ध्यान रहे कि देश की फासिस्ट ताकतें अपनी नियंत्रण वाली मीडिया और मंदबुद्धि अंधभक्तों की टोली के साथ उस संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताने पर आमादा है जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। अन्य अध्यक्षों में–

जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, पट्टाभि सीतारमैया, अल्लाउद्दीन, कृष्णास्वामी अय्यर, गोपीनाथ बारदोलई, ए.बी. खक्कर, जे.बी. माबलंकर, के. एम. मुंशी और एच.सी. मुखर्जी शामिल थे।

अब स्थिति जहां पहुंच चुकी है कि उसमें यह लड़ाई देश की जनता बनाम सांप्रदायिक फासिस्टों के बीच की है। जिस स्वतंत्रता संग्राम से इन ताकतों का दूर का रिश्ता नहीं रहा, जिसने संविधान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को अस्वीकार किया, जिसने अपने मुख्यालय में आजादी के पचास वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, जिस संगठन से जुड़े भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारतीय इतिहास की चर्चा के क्रम में दो सौ वर्षों के अंग्रेजी हुकूमत वाले कालखंड को ही गायब कर देते हें–आज देश की सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है।

वक्त का तकाजा है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संघवाद और अंततःभारत की आत्मा 'संविधान' की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन सदृश्य जनांदोलन विकसित कर इन ताकतों द्वारा देश की लोकतांत्रिक ढांचे से बदनीयती का भंड़ाफोड़ करना और जनसहयोग के ज्वार पर सवार होकर 2023 में इन खतरनाक ताकतों से देश को मुक्त करना। वक्त कम है लेकिन दायित्व बहुत बड़ा।

संविधान का अर्थ
संविधान हमें रोटियां थोड़े देता है
कि हम उसकी स्तुति करें दिन–रात
रोटियां तो हम
अपने बल और बुद्धि से पाते हैं।

पर, आज जब हम
मुँड़ी गोत कर नहीं, बराबरी में बैठ
और सिर उन्नत कर रोटियां खाते हैं

तब संविधान का अर्थ
ईश्वर से भी ऊंचा पाते हैं।

मत कहो कि संविधान
कागज पर छपी महज इबारत है
यह तो हमारे जीने की खातिर
अभिमान युक्त इमारत है।

–सुमन्त

कुछ सामयिक घटनाक्रम और...

पेज 8 से जारी...

संभावित नतीजों पर एक सवाल के जवाब में किर्बी ने कहा: आईए, हम जहां हैं उससे आगे न बढ़ें। एक सक्रिय जांच चल रही है। हमें लगता है कि इसे पूरी तरह से पारदर्शी, व्यापक होने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि कनाडा के लोगों ने इस दिशा में काम किया है। फिर से, हम भारत से उसे जांच में सहयोग करने का आग्राह करते हैं ताकि तथ्य जांचकर्ताओं को वहां तक ले जा सके जहां वे जा रहे हैं।

व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन: ''हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा संदर्भित आरोपों के बारे में गहराई से चिंतित हैं। हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।''

ग्रेट ब्रिटेन

यूके के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने एक ट्वीट में कहा: ''सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। हम कनाडाई संसद में उठाए गए गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच अपना काम करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।''

सरकारी बयान: ''हम अपने कनाडाई साझेदारों के साथ निकट संपर्क में हैं। कनाडा के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है उसके दौरान आरोपों पर आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा।''

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने एक साक्षात्कार में कहा: ''उन्होंने (ट्रूडा ने) कनाडाई सरकार की ओर से इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है।''

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा: ''ये चिंताजनक रिपोर्टे है और मैं नोट करता है कि जांच अभी चल रही है। लेकिन, जाहिर है, ये चिंताजनक रिपोर्टे हैं और हम अपने सहयोगियों के साथ इन घटनाओं पर बारीकी से निगरानी रख रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे।'' ऑस्ट्रेलिया की प्रसारण सेवा ने इससे पहले वोंग के प्रवक्ता के हवाले से कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ''वरिष्ठ स्तर'' पर उठाई गई चिंताओं पर ''गहरे तौर पर चिंतित हैं''।

भाजपा और बीआरएस को तेलंगाना विलय दिवस मनाने कोई अधिकार नहीं

राम नरसिम्हा राव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव के. संबाशिव राव ने 17 सितंबर को भारतीय संघ में तेलंगाना विलय का आधिकारिक तौर पर जश्न नहीं मनाने के लिए बीआरएस पार्टी की कड़ी आलोचना की। शुक्रवार को हनुमाकोंडा में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, भाकपा के राज्य सचिव कुनामनेनी संबाशिव राव ने मुख्यमंत्री के उपर जमकर हमला बोला। चन्द्रशेखर राव पर किसानों के सशस्त्र संघर्ष का सम्मान न करने का आरोप लगाया।

एमआईएम से डरे हुए केसीआर ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की है। संबासिवा राव ने कहा कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो उन्हें इसे तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष दिवस के रूप में मान्यता देनी चाहिए। यदि पूरे भारत ने 15 अगस्त, 1947 को आजादी की सांस ली, तो तेलंगाना में लोगों ने कम्युनिस्टों के नेतृत्व में विद्रोह के कारण 17 सितंबर, 1948 को अपनी आजादी हासिल की।

भाकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य टी श्रीनिवास राव ने कहा, हालांकि बीआरएस और भाजपा 17 सितंबर को क्रमशः राष्ट्रीय एकता दिवस और तेलंगाना मुक्ति दिवस कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भारतीय संघ के साथ तेलंगाना विलय दिवस था। भाकपा ने बुधवार को यहां किसानों के सशस्त्र संघर्ष के सप्ताह भर चलने वाले जश्न के हिस्से के रूप में एक विशाल रैली निकाली। बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए टी श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर अपनी बात से पीछे हटने का आरोप लगाया।

टी श्रीनिवास ने बताया कि केसीआर जिन्होंने बार–बार कहा कि वह आधिकारिक तौर पर मुक्ति दिवस मनाएंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद आसानी से अपने शब्द भूल गए। केसीआर ने यह भी कहा कि वह सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं की मूर्तियाँ स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा, दूसरी ओर, भाजपा निजाम के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को हिंदू–मुस्लिम संघर्ष के रूप में चित्रित करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीआरएस और भाजपा दोनों का सशस्त्र विद्रोह से कोई लेना–देना नहीं है। यह कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने अकेले ही निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, तेलंगाना के हर गांव में सशस्त्र किसानों के खून के धब्बे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस और भाजपा, जिन्होंने तेलंगाना में लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, को तेलंगाना विलय दिवस के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

इस अवसर पर भाकपा वारंगल और हनुमाकोंडा जिला सचिव मेकाला रवि और कर्रे बिक्षापति, वरिष्ठ नेता पंजाला रमेश, शेख बशुमिया, पनासा प्रसाद, वी शंकरैया, ए रमेश, जी रमेश, बी रविंदर, डी लक्ष्मण, जी मुनीश्वर, डी कृष्णा, के चेन्ना केशवुलु, जी बद्री, ए रवि, के नरसैया, टी रहेला, जन्नू रवि, जॉन पॉल और गोवर्धन चारी सहित अन्य उपस्थित थे।

एआईएसएफ का दिल्ली राज्य सम्मेलन

नई दिल्लीः ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआईएसएफ)। दिल्ली राज्य इकाई का सम्मेलन 17 सितंबर 2023 को एटक भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में जेएनयू, डीयू, जेएमआई, जामिया हमदर्द और आईपीयू के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा दिल्ली राज्य सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने किया और इस अवसर पर एआईएसएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विरेन्द्र खुराना और दिल्ली एआईवायएफ की अध्यक्ष सदस्य अमृता पाठक भी मौजूद थे।

अपने उद्घाटन भाषण में, दिनेश वार्ष्णेय ने कहा कि वह न केवल पार्टी के सचिव के रूप में बल्कि एआईएसएफ दिल्ली के पूर्व राज्य सचिव और एक विनम्र सदस्य के रूप में सम्मेलन में आए थे। कोई भी संगठन एआईएसएफ जैसे समृद्ध इतिहास और विरासत का दावा नहीं कर सकता। हमने हमेशा सार्वभौमिक शिक्षा और छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारा संगठन 1970 और 1980 के दशक के दौरान दिल्ली में जुझारू संघर्ष और विरोध प्रदर्शनों में अग्रणी संगठन था। इस विरासत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की भी आलोचना की। एनईपी शिक्षा के पूर्ण व्यावसायीकरण और निजीकरण का एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक अधिकार है और मौजूदा भाजपा नीत केंद्र सरकार इसे कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी हवाला दिया कि मोदी सरकार के पिछले दो वर्षों के दौरान 70,000 स्कूल बंद कर दिए गए। उन्होंने एक बार फिर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष में लगे रहने की बात दोहराई।

एआईएसएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वीरेन्द्र खुराना ने सम्मेलन का अभिनंदन किया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी राज में किस तरह लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जी–20 शिखर सम्मेलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी को जबरदस्ती बंद कर दिया गया और लोगों को झुग्गियों में रखी हरी चादरों के पीछे जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली का भारतीय राजनीति में बहुत महत्व है। यहां होने वाली किसी भी गतिविधि और विरोध को पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। उन्होंने आगामी एआईएसएफ दिल्ली राज्य नेतृत्व से इसे ध्यान में रखने और छात्र–संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया।

एआईवायएफ दिल्ली राज्य की अध्यक्ष अमृता पाठक ने भी जेएनयू जैसे संस्थानों में बढ़ती बाहुबल की राजनीति पर चिंता जाहिर की। एआईएसएफ को इसे खत्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए और परिसर में शान्ति एवं जनवाद बहाल करना चाहिए।

सम्मेलन के लिए चुने गये अध्यक्षमंडल में शामिल लोगों में जेएनयू छात्र संघ सह सचिव मो. दानिश, अभिप्सा चौहान, इंजमामुल हसन, अमिनुल हसन, संतोष कुमार, अनु, प्रशांत चौहान और खुशबू शर्मा शामिल थे। रिपोर्ट पर चर्चा में जेएनयू से संतोष कुमार, विवेक, शुभम, जामिया से नवाब और आईपी से प्रशांत चौहान ने भाग लिया।

सम्मेलन ने 17 सदस्यीय राज्य परिषद का चुनाव किया। इंजमामुल हसन को सचिव और अभिप्सा चौहान को अध्यक्ष चुना गया। संतोष और खुशबू शर्मा सह सचिव चुने गये और शुभम उपाध्यक्ष बने तो अमीनुल हसन कोषध्यक्ष बने।

वामपंथी पार्टियों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन

जनतंत्र, संप्रभुता, और संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ

जींद: सत्ता पर भाजपा के रूप में कारपोरेट और सांप्रदायिक गठबंधन कायम है। देश के जनतंत्र, संप्रभुता और संविधान को बचाने के लिए सबसे पहला कार्य भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए।

उक्त बात 17 सितम्बर को जींद में हुए वामपंथी पार्टियों के राज्य स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप एवं भाकपा (मा) राज्य सचिव सुरेंद्र मालिक ने कही। कनवेंशन की अध्यक्षता सविता और धर्मपाल चौहान ने की।

दोनों वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि आजादी के आंदोलन से जो जनतंत्र स्थापित हुआ आज उसके स्थान पर सांप्रदायिक तानाशाही निरंकुश सत्ता स्थापित करने की कोशिश है। निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया साधारण निजीकरण नहीं बल्कि देश की संप्रभुता और सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने का मामला है। इसलिए अपने देश को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों की इण्डिया गठबंधन पहलकदमी स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा की देश में आगामी दिनों में इंडिया बनाम एनडीए के बीच में राजनीतिक संघर्ष होगा। लोकसभा चुनावों में कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो।

दोनों पार्टी सचिवों ने कहा कि देश के उद्योग के विकास के लिए जरूरी है कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार रोजगार अवसर बढ़ाने और आमदनी बढ़ाने की बजाय देश के खजाने को लुटवाने का

दरियाव सिंह कश्यप

काम कर रही है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कारपोरेट के 17.6 लाख करोड़ रुपए के बैंको के कर्जे माफ किए गए हैं। जबकि इसी दौरान तेल के ऊपर टैक्स बढ़ाकर आमजन से 14 लाख करोड़ रुपए की लूट की गई है। यह इस पार्टी का चरित्र है। भाजपा समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है। हरियाणा में सत्ता में आने के बाद से गोरक्षा के नाम पर धंधा चल रहा है और गुंडों की फौज खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, आम जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। भाजपा गठबंधन शिक्षा को तहस नहस कर रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 और हरियाणा में चिराग योजना इसके ताजा उदाहरण हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को तबाह करके प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना है। बेरोजगारी एक भारी समस्या है, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को हटाकर मनमाना कानून बनाकर 18 सितम्बर को संसद में कानून पारित करके चुनाव आयुक्त की शक्तियों को खत्म करने के प्रयास हैं।

जय भगवान, डिंपल, रामरत्न सैनी द्वारा नूंह व मणिपुर में भाजपा आरएसएस की सांप्रदायिक व इथनिक नीतियों के चलते हिंसा के खिलाफ तथा राज्य में जारी आशा वर्कर्स के आंदोलन, ट्रेड यूनियनों व संयुक्त किसान मोर्चा के घोषित 26 से 28 नवम्बर के महापड़ाव के आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव रखे गए जिसे कनवेंशन ने स्वीकार किया।

कन्वेंशन को पार्टी व जन आंदोलन के नेताओं स्वर्ण सिंह विर्क, प्रेम चंद, हरभजन सिंह संधू , सुरेखा, सुखदेव जम्मू, सुमित, जगमति सांगवान, नीलम संधू, जगमाल सिंह, अरुण कुमार शक्करवाल, नरेश दनौदा, सत्येंद्र गिरी, विनोद गिल, अरमान सिंह, रमेश चंद्र आदि ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज गांव हो या शहर आवास की बड़ी भारी समस्या है। मजदूर शहरों में सूअर बाड़ों की तरह रहने को मजबूर हैं। खाद्य सुरक्षा को तहस नहस किया जा रहा है। पिछले बजट में खाद्य सुरक्षा सब्सिडी में 90000 करोड़ की कटौती की गई। बिजली का निजीकरण करने के लिए बिजली बिल 2023 पारित करने के प्रयास हैं व गरीब लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश हैं। सार्वजनिक परिवहन को निजी हाथों में दिया जा रहा है, राज्य में रोडवेज का निजीकरण यही प्रयास है। आज खेती पर निर्भर आबादी किसान और खेत मजदूर भयंकर संकट में हैं। फसलें बर्बाद हो रही, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, पशुपालकों की हालत दयनीय है। वाम नेताओं ने कहा कि केरल जहां वामपंथी पार्टियों की सरकार है वहां खाद्य सुरक्षा, खेती व पशुपालन में जनहितकारी कदम उठाए गए हैं। ऐसे विकल्प को सामने लाया जाना चाहिए।

कन्वेंशन में फैसला किया गया कि 15 अक्टूबर से जिला स्तरीय कन्वेंशन होंगी। जन अभियान चलाया जाएगा और जनवरी माह में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी।

मंहगाई, बेकारी के सवाल पर भाकपा का अभियान

दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दिल्ली जिला परिषद ने16 अगस्त से 20 सितंबर तक बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी पर बढ़ते अत्याचारों व अपराधों और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। आंदोलन के तहत नुक्कड़ सभाओं को डॉ. केहर सिंह जिला सचिव व दिल्ली सचिवमंडल सदस्य शशि कुमार गौतम (एआईवायएफ राज्य सचिव), पूर्वी दिल्ली सहा सचिव और प्रिया डे, सचिव भारतीय महिला फेडरेशन पूर्वी दिल्ली ने संबोधित किया।

डॉ. केहर सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। महंगाई जोरों पर है, रोजगार के संसाधन खत्म हो रहे हैं, सरकारी संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है, उनमें भर्तियां बंद पड़ी हैं, नौजवान रोजगार के बिना हताश घूम रहे हैं, देश के बहुत कल कारखाने बन्द पड़े हैं, अगर कुछ कारखाने चल भी रहे हैं तो उनमें मजदूरों का खुलेआम शोषण हो रहा है, उनसे 8 घंटे काम के बजाय 12 घण्टे काम लिया जा रहा है और मजदूरी को 20 के बजाय 15 हजार कर दिया गया है। भाजपा की सरकार ने रही सही कसर देश की जनता को टेक्सों के मध्यम से लूटकर पूरी कर दी है। आज जनता की खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स थोपा हुआ है। हमें जाति धर्म के नाम पर लडाया जा रहा है। हमारी जनता से यही अपील है कि 2024 के चुनाव में अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना।

शशि कुमार गौतम ने कहा कि हमारे बच्चे नई शिक्षा नीति के आने से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जायेगें। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और विश्वविद्यालय मिले थे अब वह भी छीन लिये जायेंगे। अब सरकार से लोन लेकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करायी जायेगी। लोन की भरपाई के लिए छात्रों की फीसें बढ़ा दी जायेंगी। जिसके कारण गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिये मध्यम वर्गीय जनता भी अपने बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नहीं दिला पाएगी। गरीबों को गरीबी सहायता मिलती थी वह भी बन्द कर दी गई है। सरकार के नुमाइन्दे हिंदू मुस्लिम तो कभी पाकिस्तान करके जनजा को उनके मूल अधिकारों के लिए संघर्ष से रोका जा रहा है। प्रिया डे ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में महिलाएं आजादी के 75 साल बाद भी सुरक्षित नहीं है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से तो बहुत ही बुरा हाल है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया उनके प्राईवेट पार्टो को छेड़ा गया। जो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने मणिपुर की घटना को छिपाये रखा, हाथरस में दलित बालिका के साथ अनाचार किया और उस माता पिता की अनुमति के बिना रात्रि में जला दिया गया।

नुक्कड़ सभाओं के समय 5000 पर्चे भी बांटे गए।

पर्यावरण बचाव के लिए मोदी को सत्ता से हटाना ....

पेज 5 से जारी...

यह मुद्दा तब पुनर्जीवित हो गया जब कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, जो सीधे मोदी को रिपोर्ट करते हैं, ने सरकारी लालफीताशाही को कम करने के लिए आंतरिक प्रयास किया।

9 दिसंबर, 2021 को आयोजित एक मीटिंग्स की मिनिट्स से पता चलता है कि उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय की परियोजनाओं को मंजूरी देने की अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उसने वांछित उद्देश्य हासिल कर लिया है। घटना की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि गौबा के निर्देश को खनन क्षेत्र सहित विभिन्न नियमों में बदलाव के आदेश के रूप में समझा गया था। अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने ओसीसीआरपी को कहा कि कैबिनेट सचिव ने हमें ईसी (पर्यावरण मंजूरी), और एफसी (वन मंजूरी), प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए कहा था, इसलिए यह करना पड़ा। अप्रैल 2022 में, पर्यावरण मंत्रालय ने एक ज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें उत्पादन को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने पर खनन करने वालों के लिए सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, और केवल 50 प्रतिशत तक लिखित प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना किसी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के मेमो का उपयोग करके भारत के पर्यावरण कानून में एक बड़ा बदलाव लागू करना अवैध है। ऑफिस ज्ञापन कानून नहीं हो सकता है। यह साफ नहीं है कि नए खनन दिशानिर्देशों से किसी विशिष्ट वेदांता परियोजना को लाभ हुआ है या नहीं।

परंतु ओसीसीआरपी रिपोर्ट कहती है कि महामारी के दौरान खनन कानूनों में बदलाव ही वेदांता का एकमात्र ऐसा गुप्त पैरवी प्रयास नहीं था। उसने यह गैस और तेल उद्योग के क्षेत्र में भी यही किया। जब सितंबर 2019 में पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा पर धूल भरे राजस्थान क्षेत्र के बाड़मेर जिले के स्थानीय राजनेता जोर सिंह ने वेदांता की तेल और गैस परियोजनाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सामने आये थे। प्रदर्शनकारी पहले से ही उस तंबू के पास नारेबाजी कर रहे थे जहां मीटिंग हो रही थी। उन्होंने यह तर्क देते हुए इसे रद्द करने की कोशिश की थी कि बैठक को पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं किया गया था और सुनवाई का दायरा बहुत व्यापक था, लेकिन उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। सिंह ने कथित तौर पर वेदांता के तेल और गैस व्यवसाय, केयर्न इंडिया द्वारा संचालित एक परियोजना के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं की सूची बनाकर लड़ाई की शुरुआत की। स्थानीय लोगों का कहना था कि कंपनी कृषि क्षेत्रों में प्रदूषित पानी का निपटान करती है और इस प्रदूषित पानी से सांस लेने में कठिनाई होती है। उन्होंने वेदांता की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने बैठक का प्रचार केवल अखबारों में किया, जिसे सभी स्थानीय लोग नहीं पढ़ सके। हालांकि कपनी ने लगातार पर्यारण सुरक्षा के प्रति चिंता करने और उसके लिए काम करने का दावे किये हैं।

राजस्थान के छह ब्लॉक उन दर्जनों ब्लॉकों में से हैं जहां वेदांता ने सरकारी नीलामी में निष्कर्षण अधिकार खरीदे थे। ओसीसीआरपी दावा करता है कि वेदांत घरेलू तेल की खोज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का शीर्ष लाभार्थी था, जिसने 2018 और 2022 के बीच देश भर में बिक्री के लिए रखे गए 220 ब्लॉकों में से 62 को हथियाया था। लेकिन राजस्थान के ब्लॉकों सहित कई परियोजनाओं को स्थानीय विरोध के कारण रोक दिया गया था। बाड़मेर बैठक के समय तक, वेदांता पहले से ही सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए काम कर रहा था। मार्च 2019 में, अपने राजस्थान ब्लॉकों में काम शुरू करने की मंजूरी मांगते हुए, केयर्न ने पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि किसी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अन्वेषण परियोजनाएं केवल अस्थायी और अल्पकालिक थीं।

केयर्न इंडिया ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखे कम से कम छह पत्रों में से एक में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने की मांग की।

कुछ महीने बाद, कैबिनेट सचिवालय ने नीलामी में ब्लॉक जीतने वाली तेल और गैस कंपनियों के सामने आने वाले नियामक मुद्दों को हल करने के लिए गौबा के नेतृत्व में अधिकार प्राप्त समन्वय समिति का गठन किया। जुलाई 2019 में एक बैठक में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक वी. पी. जॉय ने सबसे पहले सार्वजनिक सुनवाई से तेल अन्वेषण को छूट देने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि उनके सभी प्रस्ताव केयर्न के विशिष्ट अनुरोधों के अनुरूप नहीं थे, छूट पर उनका तर्क था कि इसमें शामिल परियोजनाएँ केवल अल्पकालिक थीं। उनके तर्क कंपनी के तर्कों से मेल खाते थे।

इसके बाद जॉय ने उसी वर्ष सितंबर में पर्यावरण सचिव को एक पत्र लिखा। उनके उत्तराधिकारी ने जनवरी 2020 की शुरुआत में एक और भेजा। कुछ ही दिनों बाद, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने देश के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कानून में एक संशोधन प्रकाशित किया, जिसने तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने से छूट दी। छूट ने इन परियोजनाओं की जोखिम रेटिंग को भी कम कर दिया, जिसका अर्थ है कि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों के बजाय केवल राज्य अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दी जानी थी। व्यापक विरोध के बावजूद, आंतरिक पत्रों से पता चलता है कि राजस्थान में केयर्न की सभी परियोजनाओं को 2021 में मंजूरी दे दी गई थी। जो कुछ हुआ उसकी जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया क्योंकि वह पत्रकारों से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, ने कहा कि महानिदेशक और केयर्न के संयुक्त प्रभाव के कारण कानून बदला गया। अधिकारी ने कहा कि डीजीएच (हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक), द्वारा किए गए अनुरोधों के अलावा, तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ईआईए कानून में संशोधन करने का एक और कारण केयर्न इंडिया द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को बार–बार भेजे गए अनुरोध हैं।

ओसीसीआरपी का कहना है कि वेदांता ने भारत के पर्यावरण नियमों में

महामारी–युग के बदलावों के लिए भारी मशक्कत की, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या मोदी सरकार विशेष रूप से वेदांता को ही लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही थी, क्योंकि इन बदलावों से अन्य कंपनियों को भी लाभ होने वाला था। ओसीसीआरपी के अनुसार उसे इस बात के सबूत मिले कि वेदांता मोदी की बीजेपी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दानदाता रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार इनमें से सिर्फ एक ट्रस्ट, भद्रम जनहित शालिका के दान ने इसे वित्तीय वर्ष 2016–2017 और 2021–22 के बीच भाजपा के शीर्ष दस दानदाताओं में शामिल कर दिया था। असली राशि कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि वेदांत ने चुनावी बांड के माध्यम से भी राजनीतिक दान दिया है। हालांकि वेदांता का राजनीतिक चंदा अतीत में कानूनी परेशानियों में फंस गया था। मोदी के चुने जाने से दो महीने पहले, नई दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2004 और 2012 के बीच भाजपा और पूर्व सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को दिया गया दान–जो कुल मिलाकर 160 मिलियन रुपये से अधिक था–विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को धन देने से प्रतिबंधित करने वाले कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वेदांता बुनियादी तौर पर एक यू.के. आधारित कंपनी है।

दो साल बाद, सरकार ने एक विदेशी कंपनी मानी जाने वाली परिभाषा को बदल दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में आरोप लगाया कि यह बदलाव वेदांता के दान के लाभार्थियों को जांच से बचाने का एक प्रयास था। याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन देश की स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और चुनावी पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, राजनीति में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देंगे और राजनीति और कारपोरेट घरानों के बीच अपवित्र गठजोड़ को और अधिक अपारदर्शी बना देंगे। मामला लंबित है। किसानों के पक्ष में अभियान चलाने के लिए गिरफ्तार की गई कार्यकर्ता दिशा रवि ने कहा कि अगर भारत को अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है तो वेदांता जैसी कंपनियों के प्रभाव पर अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि बड़े निगमों को पर्यावरण नीति को प्रभावित करने की अनुमति देना तम्बाकू निर्माताओं को स्वास्थ्य और कल्याण पर नीति को प्रभावित करने की अनुमति देने जैसा है–उनके हित उनकी आय बढ़ाने भर में ही हैं।

सही समाधान और बचाव के लिए भी उन्हें सत्ता से हटाने की सख्त जरूरत है।

मोदी सरकार भारतीय संविधान को बदलना चाहती है

पटना, 20 सितंबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार द्वारा सांसदों के बीच वितरित किये गए भारतीय संविधान से समाजवादी–धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए गए हैं। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार भारतीय संविधान को बदलना चाहती है और आरएसएस के संविधान को देश पर थोपना चाहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाये जाने की तीखे शब्दों में निंदा करती है।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार द्वारा सांसदों के बीच वितरित की गई भारतीय संविधान की अंग्रेजी प्रतियों में दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गायब हैं। जबकि संविधान का 42वां संशोधन कर 1976 में संविधान की उद्देशिका में दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि संविधान में बिना कोई संशोधन किए ही मोदी सरकार ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिये हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी निंदा करती है और संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ने की मांग करती है। साथ ही सांसदों के बीच वितरित की गई संविधान की प्रतियां वापस लेने और देश की जनता से माफी मांगने की मांग करती है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के एजेंडे को लागू कर रही है। आरएसएस शुरू से ही भारतीय संविधान को बदलने की मांग करता रहा है। देश की जनता मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान बदलने की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाकर बदला लेगी।

28 सितम्बर, मुल्कराज आनंद स्मृति दिवस

मुल्कराज आनंद का लेखन, मकसदी लेखन था

जाहिद खान

मुल्कराज आनंद, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य थे। साल 1935 में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखकों का जब पहला ग्रुप बना, तो उसमें डॉ. मुल्कराज आनंद का बड़ा रोल था। लंदन में रीजैंट स्क्वायर स्थित उनके एक कमरे में इन भारतीय लेखकों की बाकायदा मीटिंगें होती थीं। अपने लेखन से वे मुल्क की आजादी में किस तरह का योगदान दे सकते हैं?, इसके बड़े–बड़े मंसूबे बनते थे। आगे चलकर प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा–पत्र का जो पहला मसैदा बना, उसको तैयार करने में भी मुल्कराज आनंद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। वे जब तक जिंदा रहे, 'प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन' से उनका गहरा तअल्लुक रहा। इस तंजीम को मुल्क में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन–नामुमकिन काम किया। कलकत्ता में जब प्रगतिशील लेखक संघ की दूसरी अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस हुई, तो आनंद उस वक्त लंदन में थे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वे खासतौर से भारत आए। भारत आते ही उन्होंने जोश–ओ–खरोश से कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में उनका कयाम हुआ और उन्होंने यहां से ही प्रगतिशील लेखक संघ के काम–काज को रफ्तार दी। संगठन की मैगजीन 'न्यू इंडियन लिटरेचर' की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। मैगजीन के संपादन मंडल में उनके अलावा डॉ. अब्दुल अलीम और अहमद अली भी शामिल थे। मुल्कराज आनंद ने बंबई, कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर और कई शहरों में घूम–घूमकर मैगजीन के स्थायी सालाना मेंबर बनाए और इसके अलावा अन्य लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया। बहरहाल मैगजीन के दो अंक ही आ सके। साल 1939 में अपनी किताबों के प्रकाशन के सिलसिले में मुल्कराज आनंद इंग्लैंड वापिस गए, तो जाहिर है कि मैगजीन भी बंद हो गई। मुल्कराज आनंद न सिर्फ कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षमंडल में शामिल थे, बल्कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में तरक्कीपसंद तहरीक की विस्तृत रूपरेखा और उसकी आगामी चुनौतियों पर बहुत शानदार वक्तव्य भी दिया। उनका यह वक्तव्य 'न्यू इंडियन लिटरेचर' मैगजीन के पहले अंक में प्रकाशित हुआ।

साल 1939 में लंदन पहुंचने से पहले डॉ. मुल्कराज आनंद, स्पेन गए। स्पेन में उन्होंने देखा, किस तरह इंग्लैंड, फ्रांस, तमाम यूरोप एवं अमेरिका के तरक्कीपसंद लेखक और बुद्धिजीवी फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं? उन्होंने वहां देखा, ''लेखकों की यह जद्दोजहद महज जबानी या कलमी नहीं थी, बल्कि बहुत–से लेखक और बुद्धिजीवी वर्दियां पहनकर, जनतांत्रिक सेना की टुकड़ी 'इंटरनेशनल ब्रिगेड' में शामिल हो गए थे और प्रगतिशीलता व प्रतिक्रियावाद के सबसे निर्णायक और खतरनाक मोर्चे पर अपना खून बहाकर और अपनी जानें देकर शांति और संस्कृति की दुश्मन ताकतों को रोकने की कोशिश कर रहे थे।'' (किताब–'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें', लेखक–सज्जाद जहीर, पेज–162, 163) जाहिर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फासिज्म के खिलाफ लेखक जिस तरह से दूसरी जनतांत्रिक ताकतों के साथ एकजुट होकर संघर्ष कर रहे थे, ठीक उसी तरह का संघर्ष और आंदोलन वे भारत में भी चाहते थे। भारत आते ही उन्होंने यह सब किया भी। सज्जाद जहीर लिखते हैं,''उन्होंने भारत के लेखक और बुद्धिजीवियों में यह विद्युत तरंग पैदा करने की कोशिश की, जो उस समय पश्चिमी यूरोप के लेखक–बुद्धिजीवियों के मन में दौड़ रही थी। उन्होंने देश के बड़े–बड़े शहरों में विद्यार्थियों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की सभाओं में स्पेन की लड़ाई के अंतरराष्ट्रीय महत्त्व पर ओजस्वी भाषण दिए और अपने सहधर्मी साहित्यकारों के समूह को खासतौर पर दुनिया के तमाम मानवता प्रेमी बुद्धिजीवियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, युद्धोन्माद व प्रतिक्रियावाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।'' (किताब–'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें', लेखक–सज्जाद जहीर, पेज–164) जाहिर है कि मुल्कराज आनंद ने यह सारी कवायद, भाग–दौड़ प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर पर ही की।

डॉ. मुल्कराज आनंद की शख्सियत और उनके पूरे मिजाज को अच्छी तरह से जानना–समझना है, तो उनके खास दोस्त सज्जाद जहीर, इसके लिए मौजूं होंगे। अपनी किताब 'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें' में वे लिखते हैं,''आनंद स्वभाव से बड़ी जोशीली तबीयत के आदमी हैं। उनकी लेखनी जिस तेजी से चलती है, उससे ज्यादा तेजी के साथ उनकी जबान चलती है। अगर उनमें किसी बात की धुन हो जाए, तो फिर वे अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने काम को अंजाम देने के लिए जमीन–आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वे उन गिनती के चंद लेखकों में से हैं, जो किताब लिखने पर ही नहीं उसके मुद्रण और प्रकाशन पर भी उतनी ही मेहनत करते हैं। एक भारतीय लेखक के लिए इंगलैंड में अंग्रेजी में नॉवेल लिखकर इंग्लैंड की किताबों की मंडी में अपने लिए एक ऊंची जगह बना लेना, आनंद का ही काम था।'' (किताब–'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें', लेखक–सज्जाद जहीर, पेज–163) सज्जाद जहीर यहीं नहीं रुक जाते, बल्कि उनकी और भी कई खूबियों को बयां करते हुए कहते हैं,''कई बार तो आनंद के

दोस्त यह महसूस करते हैं कि वे एक अच्छे और संवेदनशील साहित्यकार ही नहीं, बल्कि अपनी किताबों के एक कुशल व्यापारी भी हैं। इसके बावजूद उनका अदबी मर्तबा कम नहीं होता। वे तमाम सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगतिशील आंदोलनों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अगर ऐसे मौकों पर किसी खास काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, तो फिर वे निचले नहीं बैठते। वे अपने साथ अपने इर्द–गिर्द बल्कि दूर के लोगों को भी हिलने–डुलने पर मजबूर कर देते हैं। और जैसे भी हो वे उस काम को अंजाम देते हैं कि मालूम होने लगता है, वह उनका जाती या निजी काम है। कई लोगों को आनंद के कामों में आत्मप्रदर्शन दिखाई देता है। लेकिन आनंद को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। और वे अपने काम में जुटे रहते हैं। उनके स्वभाव में जो व्यग्रता और बेचैनी है, वह उनकी अतिशय संवेदनशीलता और मस्तिक की तेजी का नतीजा मालूम होती है। और जब उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उठता है, तो इससे उनका अहंवाद नहीं, बल्कि उनके मन की कोमलता व्यक्त होती है।'' (किताब–'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें', लेखक–सज्जाद जहीर, पेज–163)

मुल्कराज आनंद का सारा लेखन, मकसदी लेखन है। उन्होंने जो भी लिखा, उसमें हमें कहीं न कहीं एक मकसद दिखलाई देता है। अपने उद्देश्यों के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया और उसे हासिल भी किया। उपन्यास 'अनटचेबल' (अछूत) और 'कुली' इन दोनों उपन्यासों में वे देश की वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था से सीधे–सीधे टकराते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत देश में दलितों के जो भयावह हालात थे, वे उपन्यास 'अछूत' में बखूबी सामने आये हैं। एक अलग विषय और उतने ही संवेदनशील तरीके से विषय की प्रस्तुति की वजह से उपन्यास 'अछूत' खूब पसंद किया गया। अपने दूसरे उपन्यास 'कुली' (साल 1936) में मुल्कराज आनंद ने सर्वहारा वर्ग के दुःख–दर्द की बात की। उनकी जिंदगी की दारुण स्थितियों को दिखलाया। वहीं साल 1937 में आए, उनके एक और चर्चित उपन्यास 'टू लीव्स एंड अ बड' (एक कली दो पत्तियां) में सर्वहारा वर्ग का नायक, पूंजीवाद से टकराता है। उपन्यास चाय के बागान में काम करने वाले एक पंजाबी मजदूर की दुःखमय कहानी है। जिसका शोषण, बागान का अंग्रेज अफसर करता है। 'टू लीव्स एंड अ बड' भारत के अलावा एक साथ ब्रिटेन और अमेरिका में भी छपा। सभी जगह इसको तारीफ मिली। उपन्यास, मशहूर निर्माता–निर्देशक–लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को भी पसंद आया। उन्हें इस स्टोरी में भारतीय समाजवाद के उभार का एक पहलू दिखलाई दिया। इस एक नुक्ते का छोर पकड़कर, अब्बास ने साल 1956 में फिल्म 'राही' बनाई। अलबत्ता यह बात अलग है कि देव आनंद, बलराज साहनी, नलिनी जयवंत और हबीब तनवीर जैसे बेहतरीन अदाकारों, प्रेम धवन और अनिल विश्वास जैसे होनहार गीतकार, संगीतकार के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही।

साल 1940 में मुल्कराज आनंद का उपन्यास 'एक्रस दि ब्लैक वाटर्स' प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास दूसरी आलमी जंग में लड़े हिंदुस्तानी सोल्जर की जिंदगी पर केन्द्रित है। उन्होंने अपने उपन्यासों में जो भी विषय चुने, वे बेहद चुनौतीपूर्ण थे। लिखने से पहले वे उस विषय पर काफी शोध करते थे। ताकि उनमें विश्वसनीयता दिखाई दे। नवेल 'द प्राइवेट लाइफ ऑफ ऐन इंडियन प्रिंस' (साल 1953) में भी मुल्कराज आनंद भारत की ही बात करते हैं। भारतीय स्थितियों और देश की समस्याओं से वे अच्छी तरह से वाकिफ थे। लिहाजा लंदन में होने के बाद भी वे अपने लेखन के जरिए बार–बार भारतीय विषयों को दुनिया भर के सामने लाते थे। उन्होंने यह सब लेखन एक रणनीति के तहत किया। ताकि दुनिया भारत और वहां की स्थितियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। डॉ. मुल्कराज आनंद एक रिवोल्यूशनरी थे और उनकी यह क्रांतिकारी विचारधारा उनकी रचनाओं में भी झलकती थी। इस ख्याल से उनका नाता ताउम्र रहा। अपने उपन्यास, कहानियों के अलावा दीगर लेखन में भी समाजवाद उनका केन्द्रीय बिंदु होता था। वे बड़ी मुखरता से अपनी बात कहते थे। साल 1946 में आई किताब 'अपॉलॉजी फॉर हीरोइज्म' में उन्होंने सोशलिज्म को इंसान की हर समस्या का हल बतलाया था। उनके मुताबिक सोशलिज्म से ही आर्थिक और राजनैतिक आजादी हासिल होगी।

मुल्कराज आनंद इंसानियत और वैश्विक भाईचारे के तरफदार थे। उनके उपन्यास और कहानियों के जो भी किरदार हैं, उनमें एक अलग तरह की जिजीविषा और जीवटता दिखलाई देता है। अन्याय, अत्याचार और गैढर–बराबरी के खिलाफ वे संघर्ष करते हैं। अपने शानदार लेखन की वजह से मुल्कराज आनंद की ख्याति पूरी दुनिया के लेखकों के बीच थी। ब्रितानी लेखक जॉर्ज ऑरवेल तक उनके बड़े प्रशंसक थे। मुल्कराज आनंद की किताब 'द सोर्ड एंड द सिकल' (साल 1942) पर अपनी राय रखते हुए ऑरवेल ने कहा था,''आनंद का नॉवेल (भारतीय) सांस्कृतिक जिज्ञासा जगाता है।'' तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी देश में जो वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता है, उससे मुल्कराज आनंद को तकलीफ होती थी। दलित वर्ग की स्थिति में वे और सुधार एवं उन्हें समानता देने की बात करते थे। इसके लिए वे सामूहिक प्रयास करने की बात करते थे। उन्हें आरक्षण के भी वे हिमायती थे और यह आरक्षण सही तरह से अमल में आए, इसकी भी वकालत करते थे। मुल्कराज आनंद तरक्कीपसंद, जनवादी ख्याल के थे और आखिरी दम तक उनका इस ख्याल में अकीदा रहा। मुल्क में तरक्कीपसंद तहरीक जैसी मुहिम हमेशा चलती रहे, इसके वे हिमायती थे। नई पीढ़ी के लेखकों से उनका कहना था,''अपने लेखन से वे समाज को आगे ले जाएं, उसे एक नई दिशा दें।''

महिला आरक्षण के लिए लड़ने वाली...

पेज 3 से जारी...

प्राप्त की। 1945 में उन्होंने डाक कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में एक रैली को संबोधित कियाय वह एकमात्र महिला छात्र वक्ता थीं।

1948 में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उन्हें और विश्वनाथ मुखर्जी को बिना किसी मुकदमे के छह महीने के लिए कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में कैद कर दिया गया। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया और गीता 1951 तक एआईएसएफ के सचिव के रूप में काम करती रहीं और कुछ वर्षों तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, तो वह भाकपा के साथ रहीं और मार्क्सवादियों में शामिल नहीं हुई। वह 1967 और 1977 में मिदनापुर के पंसकुडा पूर्बी चार बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुनी गई। 1980 में, वह पंसकुडा के लिए सांसद चुनी गई और अपनी मृत्यु तक उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह भाकपा की राष्ट्रीय परिषद और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनी गई और 1998 में चेन्नई में आयोजित पार्टी की सत्रहवीं कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रीय सचिवों में से एक बनाया गया। इस प्रकार वह किसी भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली महिला सचिवमंडल सदस्य रहीं। वह नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहीं, 1988 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और 1986 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सदस्य थीं। वह प्रेस परिषद की भी सदस्य थीं।

गीता मुखर्जी खासतौर पर महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने महिला बीड़ी श्रमिकों की ओर से और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाकपा कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करते हुए निजी तौर पर दहेज लेने से बचना चाहिए। महिला आरक्षण के सवाल को उन्होंने एक परियोजना की तरह से लिया और अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ती रहीं। यह भी बताया गया है कि उन्होंने मंत्री पद तक भी ठुकरा दिया था। आईके गुजराल की कैबिनेट ताकि वह अपनी सारी ऊर्जा इस विधेयक पर लगा सकें। वह संसद में महिलाओं के मुद्दों पर सवाल उठाने में अथक प्रयास करती थीं और पूछे जाने पर हमेशा अपना होमवर्क करती थीं। उनकी अध्यक्षता में महिला आरक्षण विधेयक पर संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित की गई।

वह एक लेखिका भी थीं और उन्होंने बच्चों के लिए बंगाली में कई किताबें लिखीं जिनमें भरतेर उपकथा (भारत की लोककथाएँ) और चोटोदेर रवीन्द्रनाथ (बच्चों के लिए टैगोर) शामिल हैं। उन्होंने ब्रुनो अपित्ज की 'नेकेड अमंग वोल्व्स' का बंगाली में अनुवाद किया। उन्हें कविता पसंद थी और वह काजी नजरूल इस्लाम और रवीन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ती और सुनाती थीं। उनकी दिल की सर्जरी हुई थी, लेकिन इससे वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से चार दिन पहले 4 मार्च 2002 को दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो गई।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष वीकली**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखेंः
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष विकली'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैंः
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

1 सितम्बर– अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी दिवस पर मानव श्रृंखला बनाई

विनाश नहीं विकास चाहिए

अरविन्द पोरवाल

इंदौरः युद्ध की विभीषिका एवं इसके सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणामों की और ध्यान आकर्षित करने तथा विश्व में शांति एवं सद्भाव के पक्ष में शांतिप्रिय ताकतों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 सितम्बर अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस अवसर पर अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन की इंदौर इकाई द्वारा रीगल चौराहे पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने विश्व के तमाम देशों के बढ़ते रक्षा खर्चों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विनाशक हथियारों के लगातार उत्पादन एवं संग्रहण से सम्पूर्ण मानवजाति के लिए खतरा पैदा हो गया है। अंतर–साम्राज्यवादी शत्रुताएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, सशस्त्र संघर्ष जारी हैं और तीव्र होते जा रहे हैं तथा विश्व शांति के लिए गंभीर खतरे हैं। दूसरी और सरकारों द्वारा समावेशी विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार पैदा करने वाली मदों के बजट एवं अनुदानों में लगातार कटौती की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि आज सक्षम राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज एवं तेल भंडारों पर कब्जा करने एवं अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को लेकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन, वेनेजुएला इराक, यूक्रेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लगातार हिंसा और युद्ध में झोंक कर बर्बाद किया जा रहा है। वक्ताओं ने मांग की है कि दुनिया में हिंसा , आतंक, युद्ध एवं उसके बहाने हथियारों का व्यापार बंद किया जाए एवं सरकार आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समावेशी विकास की जरूरतों पर ध्यान दें। नाटो और सभी सैन्य गठबंधनों को भंग करने, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के सम्मान की मांग करते हुए वक्ताओं ने अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ द्वारा विभिन्न देशों के खिलाफ लागू किए गए बहिष्करण, भेदभाव, प्रतिबंध और निषेध की निंदा की, क्योंकि वे कम आमदनी वाले परिवारों, श्रमिकों, गरीब छोटे किसानों और सामान्य तबके के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

कार्यक्रम में रामबाबू अग्रवाल, श्याम सूंदर यादव, रुद्रपाल यादव, अनिल त्रिवेदी, दिलीप वाघेला विनीत तिवारी, राहुल निहोरे, अरविन्द पोरवाल, चुन्नीलाल वाधवानी, रामदेव सायदिवाल, सुनील चंद्रन, विजय दलाल, बी एस सोलंकी, रामस्वरूप मंत्री, हरनाम सिंह, सारिका श्रीवास्तव शफी शेख सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

2024 में ''इंडिया'' गठबंधन की जीत सुनिश्चित करें....

पेज 16 से जारी...

हालांकि इस संबंध में उनका योगदान शून्य था।

सीपीआई महासचिव ने बताया कि कम्युनिस्टों द्वारा निभाई गई वीरतापूर्ण भूमिका को मान्यता दिए बिना, भारतीय इतिहास संपूर्ण नहीं होगा। वास्तव में कम्युनिस्ट केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने इतिहास रचा है। डी. राजा ने रेखांकित किया कि कम्युनिस्टों ने अपना खून बहाया, सलाखों के पीछे गए, कई वर्षों तक जेल में रहे, अपने परिवार के सदस्यों सहित कई बलिदान दिए, लेकिन भाजपा यह कहकर इतिहास को विकृत कर रही है कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष मुस्लिम राजा और हिंदू लोगों के बीच संघर्ष था।

उन्होंने भाजपा के इस बेबुनियाद तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भारत रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। मोदी और अमित शाह को इस बात का एहसास होना चाहिए और हर मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम नजरिये से देखना बंद करना चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है कि ये सरदार वल्लभभाई पटेल के आदेश पर हुआ कि भारतीय सेना तेलंगाना पहुंची, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पटेल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। सेना के तेलंगाना पहुँचने से पहले ही कम्युनिस्ट संघर्ष कर रहे थे। डी.राजा ने कहा कि कम्युनिस्टों द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के बिना तेलंगाना का भारतीय संघ में विलय संभव नहीं हो पाता।

सीपीआई महासचिव ने अपने संबोधन में आगे कहा कि देश कई क्षेत्रों में संकट का सामना कर रहा है। नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दावा कर रहे हैं कि जी–20 शिखर सम्मेलन के बाद मोदी का प्रभाव बढ़ा है। क्या खाक प्रभाव बढ़ा है, शिखर सम्मेलन के बाद ही रुपये की कीमत में काफी गिरावट आ गई। मोदी दावा करते हैं कि वह तीसरी बार सत्ता में आ गए तो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल देंगे। डी. राजा ने कहा कि मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा करने और विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाकर सभी के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा भी किया था। क्या हुआ? न नौकरियां पैदा हुई और न किसी के खाते में 15 लाख रुपये आए। लोग अब समझ गए हैं कि ये वादे सिर्फ वोट पाने के लिए थे। इसके बजाय मोदी के शासन में अडानी और अंबानी सुपर अमीर बन गए हैं। मणिपुर में आंतरिक गृह युद्ध हो रहा है और मोदी इस मुद्दे पर बेशर्मी से चुप्पी साधे हुए हैं। वह संविधान, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता की नींव को नष्ट कर रहे हैं। राज्यपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखना होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर मोदी सरकार के इन कामों के बारे में क्या प्रतिक्रिया करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वाम दल, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दल एकजुट हुए हैं और सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादी भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैकल्पिक मोर्चे के रूप में ''इंडिया'' गठबंधन बनाया है। जैसे ही इस मोर्चे की घोषणा हुई, मोदी बौखला उठे और ''इंडिया'' गठबंधन तथा उसके साथियों पर हमले करने लगे। ''इंडिया'' महज कुछ पार्टियों का मोर्चा नहीं है, बल्कि उन लोगों का गठबंधन है, जो मोदी सरकार के नौ साल के शासन से असंतुष्ट हैं। इसलिए लोग ''भाजपा हटाओ, देश बचाओ'' के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन में उतर रहे हैं। संविधान को लिखते समय डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि भारत एक बहुलता एवं विविधतापूर्ण देश है। मोदी कह रहे हैं कि ''एक देश, एक चुनाव''। लेकिन अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान का निर्माण हो रहा है और निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र चुनाव कराये जाने चाहिएं। स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए स्थायी चुनाव आयोग की स्थापना की गई। यह सच है कि ''एक देश, एक चुनाव'' में खर्च कम होगा। जब कम खर्च की बात है तो चुनाव के बारे में ही क्यों? मोदी राज में अरबों–खरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी फिक्र क्यों नहीं करते। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी राज में राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में 7.5 लाख रुपए करोड़ों की हेराफेरी की गई है। उसकी फिक्र नहीं करते, इसलिए सरकार ''एक देश, एक चुनाव'' का सुझाव देने में ईमानदार नहीं है।

इंद्रजीत गुप्ता चुनाव सुधार समिति के अनुसार, सरकार को चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए गए सभी खर्चों को वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में बीजेपी को हराने और संविधान की रक्षा के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा।

सीपीआई के पूर्व महासचिव सुधाकर रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि केसीआर न तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होंगे और न ही विपक्षी दलों के मोर्चे में शामिल होंगे। अगर दोनों मोर्चों के पास बहुमत नहीं है तो वह बीजेपी को वोट देंगे और केंद्र में मंत्री पद का दावा करेंगे।

तेलंगाना सीपीआई राज्य परिषद सचिव कुनामनेनी संभाशिवा राव ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि भाजपा ने 2001 तक कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था। आरएसएस ने भी कहा था कि तिरंगा शुभ नहीं है। इसलिए उन्होंने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया।

जन सभा में पार्टी के विभिन्न नेतागण–राज्य कार्यकारिणी सदस्यगण– बोम्मागानी प्रभाकर, रवींद्र चारी, सीतारमैया और हैदराबाद जिला सचिव नेदुनूरी ज्योति, मेडचल जिला सचिव, बी छायादेवी और सैलू गौड़, रंगारेड्डी जिला सचिव पालमकुला जंगैया आदि भी उपस्थित थे।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 24 – 30 सितंबर, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 22.9.2023

तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष वर्षगांठ समारोह

2024 में ''इंडिया'' गठबंधन की जीत सुनिश्चित करें: भाकपा

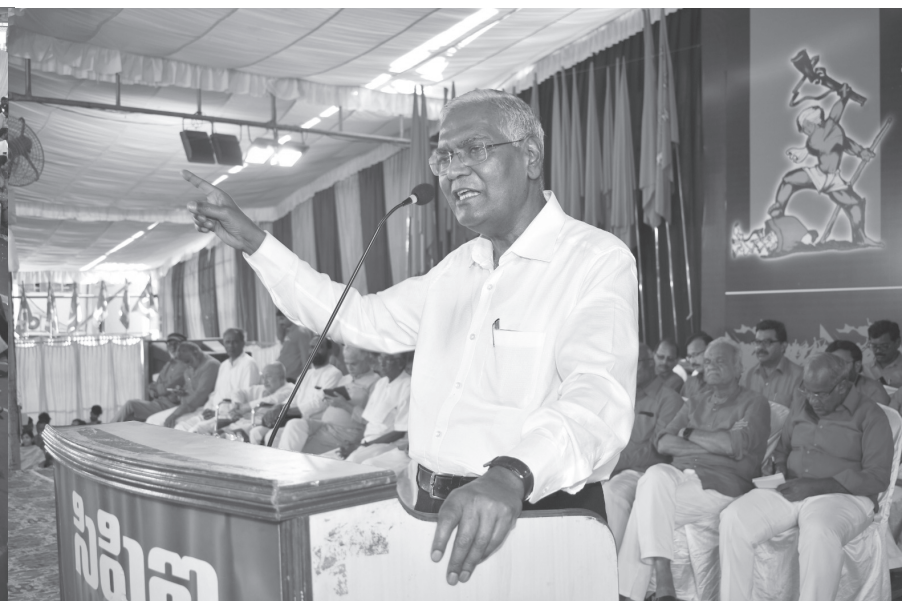

रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई महासचिव डी. राजा

राम नरसिम्हा राव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के बारे में हमारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वह बताएं कि ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में भाजपा और आरएसएस की क्या भूमिका थी। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के इतिहास को विकृत कर रही है। डी. राजा 17 सितंबर, 2023 की दोपहर को हैदराबाद के प्रदर्शनी मैदान में तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष वर्षगांठ समारोह के समापन कार्यक्रम के तौर पर सीपीआई की तेलंगाना राज्य परिषद द्वारा आयोजित विशाल सार्वजनिक बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे ।

सीपीआई महासचिव ने अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्वतंत्रता संग्राम या तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में भाजपा के मातृ संगठनों आरएसएस और जनसंघ द्वारा निभाई गई भूमिका को बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश की जनता को उस दौर में आरएसएस और जनसंघ द्वारा किए गए संघर्षो और बलिदानों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को विकृत कर रहे हैं और मीडिया को झूठ बोल रहे हैं। वे भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं।

डी. राजा ने बीजेपी नेताओं को साफ कर दिया कि देश की जनता उनके झूठ पर यकीन करने वाली नहीं है; उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्यों दोनों में सांप्रदायिक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों को हराने की अपील की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कांग्रेस सहित धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक दलों को वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अधिक समन्वय और अधिक आपसी समझ के साथ काम करना होगा और मुख्य उद्देश्य फासीवादी सांप्रदायिक भाजपा को हराना होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री लुकाछिपी का खेल खेल रहे हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री समझते हैं कि वह लोगों को धोखा देते रहेंगे, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है।

जन सभा की अध्यक्षता सीपीआई तेलंगाना राज्य परिषद सचिव कुनामनेनी संभाशिवा राव ने की। बैठक को पूर्व सीपीआई महासचिव सुरवरम सुधाकर रेड्डी, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सचिव डॉ. के. नारायण एवं सैयद अजीज पाशा और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाडा वेंकट रेड्डी ने भी संबोधित किया। पार्टी के विभिन्न नेतागण–के. श्रीनिवास रेड्डी, पल्ला वेंकट रेड्डी, पस्या पद्मा, वीएस बोस, बालामल्लेश, टक्कलपल्ली श्रीनिवास राव, भागम हेमन्त राव, कलावेनी शंकर, ईटी नरसिम्हा, बाल नरसिम्हा, एम नरसिम्हा आदि सभा में उपस्थित थे। कवि, लेखक और गायक जयराज ने सुधाकर रेड्डी और स्वतंत्रता सेनानी एम. के. मोहिउद्दीन का शाल ओढ़ा कर उनका अभिनंदन किया।

डी. राजा ने तेलुगु में भाइयों और बहनों को लाल सलाम कहकर और यह याद करते हुए कि 17 सितंबर, 1948 को तेलंगाना का भारतीय संघ में विलय हो गया था, कहा कि इसीलिए आज हम यह दिन मना रहे हैं। कामरेड रवि नारायण रेड्डी, मखदूम मोहिउद्दीन और बद्दाम येला रेड्डी ने निजाम के तानाशाही शासन, जमींदारों और रजाकारों की ज्यादतियों, निजाम की निजी सेना आदि के खिलाफ तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया था। चंद्र राजेश्वर राव और पुचलपल्ली सुंदरैया ने आह्वान का समर्थन किया और संघर्ष के दिग्गजों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ सामग्री और मौद्रिक सहायता के साथ संघर्ष का मार्गदर्शन किया। डी. राजा ने कहा कि बीआरएस और भाजपा भी इस दिन को किसी न किसी नाम से मना रहे हैं,

शेष पेज 15 पर...

रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई राष्ट्रीय सचिव के. नारायणा

रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई पूर्व महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.